सहकारी निर्वाचन

मार्गदर्शिका

उत्तराखण्ड सरकार

2011

निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड द्वारा प्रकाशित

(केवल शासकीय प्रयोग हेतु)

Nirvachan niyamavali

:–निर्वाचन हेतु सामान्य निर्देश–:

सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने में जो सामान्य कठिनाईयां/शंकायें प्रकाश में आती हैं उनके निराकरण हेतु निम्नलिखित सुझाव/निर्देश दिये जा रहे हैं :–

(1) मतदान हेतु पात्रता–

1– निर्वाचन की तिथि अर्थात संचालक मण्ड़ल के गठन की तिथि से 45 दिन पूर्व तक के सदस्यों को सदस्यता सूची में सम्मिलित किया जायेगा ।

2– मतदाता सूची में समस्त सदस्यों का नाम अंकित किया जायेगा किन्तु यदि कोई सदस्य किसी कारण से मतदान/निर्वाचन हेतु अपात्र है तो उसके नाम के आगे कारण उल्लिखित किया जायेगा जैसे बकायेदार की स्थिति में बकायेदार शब्द अंकित किया जाय।

3– जिन समितियों में सामान्य निकाय का गठन प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना है उसमें सदस्यता सूची अन्तिम रूप से प्रकाशित होनें से पूर्व तक जिला सहायक निबन्धक से प्राप्त प्रतिनिधियों के नाम ही सूची में सम्मिलित किये जायेगें ।

4– अनन्तिम मतदाता सूची में अपात्रता का कारण निर्धारित तिथि तक समाप्त कर दिये जाने की स्थिति में सम्बन्धित सदस्य निर्वाचन/मतदान हेतु पात्र हो जायेगा । उदाहरणार्थ यदि बकायेदार सदस्य मतदाता सूची पर आपत्तियों के निस्तारण की तिथि तक अपनी बकायेदारी समाप्त कर देता है तो उसका नाम अन्तिम मतदाता सूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

5– मतदाता सूची क्षेत्र/वार्डवार तैयार की जायेगी ।

6– सदस्यों/प्रत्याशियों से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर मतदाता सूची उपलब्ध कराई जा सकती है । शुल्क के बारे में नियम संख्या 394 से 397 देखें ।

7– समिति की उपविधियां भी नियम संख्या 395 (घ) (3) में निर्दिष्ट/जमा करने पर निर्धारित शुल्क प्राप्त कर उपलब्ध कराई जा सकती हैं ।

8– सदस्यता के सम्बन्ध में उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 17 से 27 तक एवं उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 के नियम संख्या 38 से 59 तक उल्लेख किया गया है।

9– जिस सदस्य का न्यूनतम एक हिस्सा पूर्ण है उसे मतदान का अधिकार होगा यदि वह किसी अन्य कारण से अनर्ह न हो।

(2) सामान्य निकाय के गठन हेतु प्रतिनिधियों का निर्वाचन–

1– प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों जिसमें PACS , LAMPS , FSS, LSS आदि सम्मिलित हैं में प्रतिनिधियों का निर्वाचन नहीं होगा ।

2– अन्य प्रकार की समितियां जिनकी सदस्यता 500 से अधिक है में सामान्य निकाय का गठन प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा ।

3– प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रक्रिया वही होगी जो समिति के संचालक मण्ड़ल के लिए होती है

4– प्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं सामान्य निकाय के गठन के लिए नियम संख्या 78 से 85 तक का अवलोकन किया जाय।

5– प्रत्येक समिति में निर्वाचन आवयकंएवं प्रतिनिधियों के अपात्रता के सम्बन्ध में नियम संख्या 81 (ञ) एंव 83 में उल्लेख किया गया है ।

6– यदि कोई समिति अपना निर्वाचन नहीं कराती है तो पूर्व में उसके द्वारा अन्य समितियों को भेजे गये प्रतिनिधि उस समिति का प्रतिनिधित्व करने हेतु अपात्र हो जायेगें । {नियम संख्या 83 (10)}

7– नियम संख्या 85 में भी उक्त का स्पष्ट उल्लेख है , यहॉ पर यह अर्थ न लगाया जाय कि एक बार जो प्रतिनिधि किसी अन्य संस्था के लिए समिति द्वारा चुन कर भेजा गया है वह तब तक प्रतिनिधि बना रहेगा जब तक कि समिति किसी दूसरे प्रतिनिधि को निर्वाचित कर न भेज दे । क्योंकि पूर्व में अनेक समितियों द्वारा निर्वाचन नहीं कराये गये एवं प्रथम बार भेजे गये प्रतिनिधि द्वारा निरन्तर समिति का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है । उक्त परिपाटी को समाप्त करने के लिए निर्वाचन कराया जाना अनिवार्य किया गया है । यदि किसी समिति में निर्वाचन तिथियां निर्धारित नहीं होनें के कारण, अथवा निर्वाचन किन्ही आदेों के कारण रोक दिया जाता है तो उस स्थिति में पूर्व में निर्वाचित प्रतिनिधि समिति का प्रतिनिधित्व करता रहेगा ।

(3) संचालकों का निर्वाचन–

1–समिति की प्रबन्ध कमेटी का गठन समिति के सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा इस हेतु प्रबन्ध कमेटी के अन्तिम रूप से अवधारित निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा समिति की उपविधियों में निर्दिष्ट संचालकों का निर्वाचन किया जायेगा ।

2–500 से कम सदस्यों वाली सहकारी समितियों में प्रबन्ध कमेटी/संचालक मण्ड़ल का निर्वाचन अन्तिम रूप से अवधारित निर्वाचन क्षेत्रवार समिति के सदस्यों द्वारा किया जायेगा ।

3–एक चुनाव क्षेत्र में एक पद हेतु एक प्रत्याशी का एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक होगा वह प्रस्तावक अथवा समर्थक किसी अन्य प्रत्याशी का प्रस्तावक व समर्थक नहीं होगा । किन्तु क्षेत्र में एक से अधिक पद होनें पर वह उतने प्रत्याशियों के प्रस्तावक/समर्थक हो सकते हैं । (नियम संख्या 442)

4–प्रस्तावक एवं अनुमोदनक उसी निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के होगे, जिसका कि उम्मीदवार है।

5– कोई उम्मीदवार प्रबन्ध समिति के एक से अधिक पद के लिए साथ–साथ चुनाव लडने के लिए अर्ह न होगा । (नियम संख्या 442)

(4) अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन –

1–प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराया जायेगा ।

2–प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों द्वारा सचांलको/सामान्य निकाय के सदस्यों में से शीर्ष/अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जायेगा। जो उक्त संस्था के सामान्य निकाय का गठन करेगी ।

(5) मतदान सामान्यतः गोपनीय रूप से किया जायेगा जिसमें मतपत्रों का उपयोग होगा ।

(6) मतपत्रों में प्रत्याशियों के नाम या तो स्याही से लिखे जा सकते हैं अथवा उनके नाम की मुहर बनाकर छापी जा सकती हैं ।

(7) यदि दो प्रत्याशियों को बराबर–बराबर मत मिले हैं तो निर्वाचन परिणाम की घोषणा पर्ची डालकर की जायेगी एवं जिस प्रत्याशी की पर्ची उठायी जायेगी उसे निर्वाचित घोषित किया जायेगा । (नियम संख्या 454(5))

(8) प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन भरने हेतु प्रपत्र "ट" निर्धारित शुल्क देकर उपलब्ध कराया जायेगा । प्रपत्र "ट" की फीस के सम्बन्ध में नियम संख्या 452(1) देखें ।

(9) प्रपत्र "ट" किसी भी दशा में वापस नहीं लिया जायेगा ।

(10) आपत्तिकर्ता को नियम संख्या 453 (7) के अनुसार 5.00 रू. शुल्क देकर मतदाता की पहचान के सम्बन्ध में आपत्ति कर सकता है ।

(11) निर्वाचन के प□चात समस्त सामग्री जिला निर्वाचन कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी, अथवा जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार इसके रखने की व्यवस्था की जायेगी ।

(12) आरक्षण की व्यवस्थाः–

प्रत्येक समिति की सामान्य निकाय में अन्य समितियों से भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों में से एक पद अनु0जाति/जन जाति, अन्य पिछ़डा वर्ग अथवा महिला का आरक्षित होगा। जिसका निर्धारण चकानुकम में किया जायेगा । नियम संख्या 81 देखें ।

(13) प्रबन्ध समिति में (केन्द्रीय उपभोक्ता भण्ड़ारों को छोड़कर) आरक्षण की व्यवस्था अधिकतम 3 पद होगी । (नियम संख्या 415)

(14) प्रबन्ध समिति में 7 से 15 तक सदस्य होगें । जैसा कि समिति की उपविधियों में उल्लिखित होगा। शीर्ष सहकारी समितियों में अधिकतम 17 सदस्य होगें ।

(15) केन्द्रीय एवं प्रारम्भिक उपभोक्ता सहकारी समितियों में 3 स्थान आरक्षित होगें । जिसमें 2 महिलाओं के लिए एवं 01 अनु0जाति, जन जाति या अन्य पिछडे वर्ग के लिए चकानुकम में आरक्षित होगा। (नियम संख्या 415)

(16) केन्द्रीय उपभोक्ता भण्ड़ार के सम्बन्ध में नियम संख्या 455 (4) (ग) देखें।

(17) पंजीकरण के पश्चात बैठक एवं निर्वाचन के सम्बन्ध नियम 426 से 430 तक देखें।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 के निर्वाचन हेतु उपयोगी प्रमुख नियम

सदस्यता

38. (1) (क) धारा 26–(क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सहकारी समिति की सदस्यता पाने के लिए प्रत्येक प्रार्थना–पत्र सचिव को दिया जायेगा जो प्रार्थना–पत्र को यथाशीघ्र समिति की उपविधियों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष (जिसे आगे ''सक्षम प्राधिकारी'' कहा गया है) समिति की सदस्यता दिये जाने के प्रश्न पर निर्णय देने के लिए प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरणः–नाममात्र के या सम्बद्ध सदस्य के रूप में सदस्यता पाने के किसी प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के लिए समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा समिति के किसी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी होने का प्राधिकार दिया जा सकता है ।

(ख) सक्षम प्राधिकारी सदस्यता पाने के लिए दिये गये प्रार्थना–पत्र पर विचार करेगा और प्रार्थी को समिति की सदस्यता दिये जाने या न दिये जाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय देगा । यह निर्णय, जब तक किन्हीं अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना सम्भव न हो –

(i)-नाममात्र या सम्बद्ध सदस्य की दशा में समिति को प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर यथा शीघ्र स्वीकार कर संसूचित किया जायेगा ;

(ii) किसी अन्य दशा में, समिति को प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के पैंतीस दिन के भीतर लिया जायेगा । निर्णय की सूचना प्रार्थी को निर्णय लिये जाने के सात दिन के भीतर दी जायेगी ।

(ग) यदि सदस्यता के लिए दिये प्रार्थना–पत्र पर कोई निर्णय न लिया गया हो और उसकी सूचना प्रार्थी को –

(i)-नाममात्र या सम्बद्ध सदस्य की दशा में प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर , तथा

(ii)–साधारण सदस्य की दशा में प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर, न दी जाय ,तो ऐसा प्रार्थना–पत्र अस्वीकृत किया गया समझा जायेगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति का सदस्य उस समय तक नहीं बनाया जायेगा जब तक कि–

(I)– वह अधिनियम, नियमावली तथा समिति की उपविधियों में सदस्यता के लिए निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति न करता हो ,

(ii)– उसने समिति की उपविधियों में निर्धारित रीति से समिति की सदस्यता के लिए प्रार्थना–पत्र न दिया हो ,

(iii)– उसे समिति की उपविधियों के अनुसार सदस्यता के लिए अनुमोदित न किया गया हो,

(IV)- नाम–मात्र तथा सम्बद्ध सदस्य की दशा में सदस्यता के लिए उसका प्रार्थना–पत्र, समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत समिति के किसी अधिकारी द्वारा स्वीकृत न किया जाय ।

39. यदि राज्य गोदाम निगम (स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन), कोई सहकारी समिति या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (एक्ट सॅ0 21, 1860) के अधीन निबन्धित कोई समिति, तत्समय प्रचलित किसी भी अन्य विधि के अधीन निबन्धित कोई कम्पनी या निगमित निकाय, किसी सहकारी समिति की सदस्यता के लिए प्रार्थना–पत्र दे तो ऐसी सम्बद्ध सदस्यता के लिए प्रार्थना–पत्र ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा जो निकाय पर प्रयुक्त की विधि या उपविधियों के उपबन्धों के अधीन ऐसा करने के लिए सक्षम हो।

स्पष्टीकरणः– शब्द ''उपविधि'' के अर्न्तगत सम्बद्ध निकाय के नियम या समवाय नियम अथवा समवाय ज्ञापिका भी होंगे ।

40. यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने, किसी समिति के मृत सदस्य के अंश या हित को सॅयुक्त रूप से दाय में पाया हो तो ऐसे व्यक्तियों को समिति का साधारण सदस्य बनाया जा सकता है। अंश या अंशों के सम्बन्ध में मतदान के अधिकार के लिए ऐसे व्यक्ति, घोषणा द्वारा अपने में से किसी एक को धारा 20 के अधीन मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए नाम निर्दिष्ट करेंगे, जिस पर समिति, अंश प्रमाणक में ऐसे व्यक्ति का नाम संयुक्त अंशधारियों में मुख्य नाम के रूप में लिखेगी। जो विधिक उत्तराधिकारी होगा और उसे अंशदान पूरा करने पर सदस्यता मिलेगी, विधिक वारिस एक से अधिक होने की दशा में समिति समस्त या एक से अधिक वारिसों को सदस्यता प्रदान कर सकती है।

स्पष्टीकरणः–

(1)–यद्यपि मतदान के अधिकार का उपयोग केवल घोषणा में तथा अंश प्रमाणक में इस प्रकार उल्लिखित व्यक्ति द्वारा ही किया जायेगा तथापि उक्त सभी व्यक्ति अधिनियम, नियमावली तथा समिति की उपविधियों में की गई व्यवस्था के अनुसार सॅयुक्त रूप से और अलग–अलग सम्पूर्ण दायित्वों के भागी होंगे ।

(2)–यह नियम केवल तब तक लागू होगा जब तक कि अंश सॅयुक्त रूप से घृत हो ।

41. (1) कोई भी व्यक्ति , किसी सहकारी समिति का, जो अपने सदस्यों को नकदी या जिन्स अथवा दोनों ही प्रकार का ऋण देती है, सदस्य न होगा, यदि ऐसा व्यक्ति अनुपयुक्त दिवालिया (Undischarged insolvent) हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, समिति का न तो साधारण सदस्य होगा और न बना रहेगा , यदि निबन्धक की राय में उसी प्रकार का कार्य करता हो जैसा कि समिति द्वारा किया जा रहा हो ।

42. (1) कोई भी व्यक्ति, जो पहले से ही किसी प्रारम्भिक सहकारी ऋण समिति का सदस्य हो जब तक कि उसे निबन्धक द्वारा उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अनुज्ञा न दी जाय, किसी अन्य सहकारी ऋण समिति का सदस्य न होगा ,सिवाय जब तक कि ऐसी समिति कोई सहकारी बैंक हो जिसका मुख्य कार्य अपने सदस्यों की अचल सम्पत्ति बन्धक रखकर दीर्घावधि ऋण देना हो ;

(2) यदि कोई व्यक्ति, उपानियम (1) के उल्लंघन में दो ऋण समितियों का सदस्य हो गया हो तो वह दोनों में से किसी एक समिति की सदस्यता त्याग देगा तथा सदस्यता त्यागने के लिए कहे जाने से 45 दिनों के भीतर उसके ऐसा न करने पर समिति, जिसका वह बाद में सदस्य बना हो, उसे सदस्यता से हटा देगी ।

43. कोई भी व्यक्ति, जब तक कि निबन्धक द्वारा उन कारणों से , जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी आवास सहकारी समिति का सदस्य न होगा, यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही उसी शहर में किसी अन्य सहकारी आवास समिति का सदस्य हो ।

44. (क) किसी भी व्यक्ति को जिसे नियम 51 के खण्ड ''ख'' के अधीन किसी सहकारी समिति की सदस्यता से निकाल दिया गया हो , निकाले जाने के आदेश के प्रभावी होने के दिनॉक से दो वर्ष व्यतीत होने के पूर्व , उसे उसी समिति का सदस्य नहीं बनाया जायेगा जैसा कि धारा 27 की उपधारा (5) में व्यवस्थित है ।

(ख) किसी भी व्यक्ति को –

(1)–किसी शीर्ष समिति या केन्द्रीय बैंक का, या

(2)–किसी ऐसी केन्द्रीय समिति का जिसकी कोई अन्य केन्द्रीय समिति साधारण सदस्य हो, साधारण सदस्य नहीं बनाया जायेगा ।

(ग) यदि उपनियम (ख) में उल्लिखित किसी समिति में अधिनियम लागू होने के दिनॉक को कोई व्यक्ति उसकी साधारण सदस्यता में हो तो वह समिति ऐसे दिनॉक से एक वर्ष के या ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर, जिसकी निबन्धक, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी भी सहकारी समिति के लिए अनुमति दे, समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार, धारा 18 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी अन्य वर्ग में अपनी सदस्यता समायोजित करेगी ।

45. किसी भी सॅयुक्त स्टाक कम्पनी (Joint Stock Company) को निम्नलिखित का साधारण सदस्य नहीं बनाया जायेगा :–

(1) किसी प्रारम्भिक नगरीय सहकारी बैंक या नगरीय केन्द्रीय बैंक से भिन्न किसी शीर्ष या केन्द्रीय बैंक काः प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रारम्भिक नगरीय सहकारी बैंक या नगरीय केन्द्रीय बैंक में ऐसी कम्पनियों की

कुल सदस्यता, निबन्धक के पूर्व अनुमोदन के बिना, ऐसे बैंक की कुल सदस्यता के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(2) किसी प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति का।

46. नाम मात्र या सहयुक्त सदस्य केवल उतना प्रवेश शुल्क देगा जितना निबन्धक समय–समय पर इस हेतु अवधारित करे या समिति की उपविधियों के अर्न्तगत अपेक्षित हो, इनमें जो भी अधिक हो। प्रवेश शुल्क वापस नहीं किया जायेगा न उस पर कोई ब्याज देय होगा।

47. किसी सहकारी समिति का कोई सहयुक्त या नाममात्र सदस्य, भले ही समिति का दायित्व कुछ भी हो, समिति के समापित किये जाने पर उसकी परिसम्पत्तियों में अंशदान करने के लिए जिम्मेदार न होगा, सिवाय किन्हीं ऐसे देयों के प्रतिदान के लिए जिनका वह अकेले व किसी अन्य ऋणदाता के साथ संयुक्त रूप से समिति का देनदार हो ।

48. किसी सहकारी समिति की सदस्यता के लिए स्वीकृत किये जाने के पूर्व प्रत्येक सदस्य एक घोषणा पत्र पर इस आशय का हस्ताक्षर करेगा कि वह समिति की वर्तमान उपविधियों, और उसके किसी संशोधन को मानने के लिए बाध्य होगा, ऐसा घोषणा पत्र दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

49. कोई व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए दिये गये प्रार्थना–पत्र में सम्मिलित होने के कारण पहले से ही सदस्य हो, उससे समिति के निबन्धन के एक माह के भीतर, ऐसी समिति द्वारा नियम 48 में निर्दिष्ट घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी । यदि वह ऐसा न करे तो वह समिति की सदस्यता से निकाल दिये जाने का भागी होगा ।

50. किसी सहकारी समिति का कोई सदस्य, सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग करने का तब तक हकदार न होगा, जब तक कि वह यथास्थिति नियम 48 या 49 में उल्लिखित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न कर दे, और समिति को ऐसा भुगतान न कर दे जो सदस्यता के सम्बन्ध में आवश्यक हो या समिति में ऐसा हित अर्जित न कर ले जिनकी उस समिति की उपविधियों में व्यवस्था की जाय ।

51. किसी भी व्यक्ति को, नियमों में निर्धारित रीति से –

(क) सहकारी समिति की सदस्यता से हटाया जा सकता है, यदि–

1–वह उन अर्हताओं की पूर्ति न करता हो, जो समिति की सदस्यता के लिए अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों में निर्धारित की गयी हैं: या

2–वह अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों का उल्लॅघन करके समिति का सदस्य बनाया गया हो: या

3–वह विकृत–चित्त का हो जाय। या

4–समिति के सम्बन्ध में उसकी सदस्यता नियम 8 (ख) के उपबन्धों से असंगत हो ।

(ख) समिति की सदस्यता से निकाला जा सकता है –

1–यदि उसने समिति की निधि या सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया हो अथवा समिति की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई हो और ऐसे अपराध के लिए इन्डियन पैनल कोड 1860 के अधीन दण्डित किया गया हो ,

प्रतिबन्ध यह है कि वह दण्डादेश के विरूद्ध अपील में छोड़ दिये जाने के पश्चात या अर्थदण्ड का भुगतान करने के पश्चात जैसी भी दशा हो, उक्त समिति या किसी भी अन्य समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र होगा।

2– यदि उसने किसी समिति की उपविधियों का उल्लंघन करके समिति के हित को हानि पहुँचाई हो ; या

3– यदि समिति की उपविधियों के किसी भी उपबन्ध के अनुसरण में किसी सदस्य द्वारा की गई घोषणा या तो गलत पाई जाय या घोषणा में किसी सारवान सूचना को दबाने के कारण दोषपूर्ण हो, और ऐसी गलत या दोषपूर्ण घोषणा के कारण सदस्य को समिति से अनुचित लाभ हुआ हो, अथवा उससे समिति को आर्थिक या वित्तीय हानि अथवा अन्य कठिनाइयाँ हुई हों ।

52. किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे नियम 51 के अधीन हटाना या निकालना हो, प्रबन्ध कमेटी नोटिस प्राप्त होने के दिनॉक से 10 दिन के भीतर यह कारण बताने को कहेगी कि क्यों न उसे समिति की सदस्यता से, यथास्थिति हटा या निकाल दिया जाय ।

53. 1–यदि नियम 52 में निर्दिष्ट नोटिस का जवाव उक्त नियम में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न दिया जाय अथवा प्राप्त जवाव प्रबन्ध कमेटी की राय में सन्तोषजनक न हो, तो उक्त सदस्य, को प्रबन्ध कमेटी द्वारा, नोटिस की अवधि की समाप्ति के दिनॉक से 15 दिन के भीतर हुई बैठक में पारित संकल्प द्वारा, यथास्थिति, हटा दिया जायेगा या निकाल दिया जायेगा ।

2–उपनियम 1 में उल्लिखित प्रयोजन के लिए बुलाई गई प्रबन्ध कमेटी की बैठक की कार्यसूची की एक प्रतिलिपि उस सदस्य को भेजी जायेगी जिसे हटाना या निकालना हो और सम्बन्धित सदस्य को ऐसी बैठक के समक्ष, यदि वह ऐसा करना चाहे, स्वयं अपने मामले को प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

54. नियम 53 के अधीन पारित कोई भी संकल्प तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह मतदान में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित न किया गया हो ।

55. यदि किसी सहकारी समिति के किसी सदस्य को हटाने या निकालने का कोई आदेश धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन निबन्धक से प्राप्त हो तो, प्रबन्ध कमेटी उक्त आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर नियम 52 और 53 में निर्धारित रीति से सदस्य को यथास्थिति हटा देगी या निकाल देगी ।

56. नियम 53 या नियम 55 में निर्दिष्ट बैठक के संकल्प की एक प्रति अथवा धारा 27 की उपधारा 2 के अधीन यथास्थिति हटाये या निकाले जाने के लिए निबन्धक द्वारा दिये गये आदेश की एक प्रति, जैसी भी दशा हो, सम्बन्धित सदस्य को रजिस्ट्री डाक से भेजी जायेगी ।

57. किसी व्यक्ति का जो किसी सहकारी समिति की सदस्यता से धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक द्वारा या नियम 53 या 55 के अधीन, किसी सहकारी समिति द्वारा हटाया जाय या निकाला जाय, इस प्रकार हटाये जाने या निकाले जाने पर भी ,दायित्व जैसा कि धारा 25 में व्यवस्थित है, बना रहेगा और अपने ऋणों का समिति को भुगतान करने का भी दायित्व बना रहेगा।

58. किसी सहकारी समिति का कोई सदस्य–

1–उसकी मृत्यु होने,

2–समिति से हटाये जाने या निकाले जाने,

3–उसके द्वारा सदस्यता वापस लेने, या

4–उसके निवृत होने या स्थानान्तरण पर अथवा उसके द्वारा धारित सभी अंशों के जब्त कर लिये जाने पर, ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा ।

59. कोई सहकारी समिति, किसी सदस्य को लिखित रूप से अनुरोध करने पर और ऐसे शुल्क देने पर जो उसकी उपविधियों में निर्धारित किये जायें, निम्नलिखित किसी एक या अधिक दस्तावेजों की एक या अधिक प्रमाणित प्रतिलिपियां ऐसे शुल्क दिये जाने के दिनाँक से एक माह के भीतर देगी।

(क) किसी सदस्य को–

1–समिति की पंजीकृत उपविधियों की एक प्रतिलिपि,

2–प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की सूची,

3–अन्तिम लेखा–परीक्षित, तुलन–पत्र और वार्षिक लाभ हानि के लेखे की एक प्रतिलिपि

4– किसी ऋण समिति की दशा में समिति के साथ अपने लेनदेन की और किसी अन्य समिति की दशा में अपने उधार, लेनदेन की एक या अधिक अभिलेखों की दूसरी प्रतिलिपि।

(ख) किसी साधारण सदस्य को

1–समिति के सदस्यों की एक सूची,

2–समिति के साधारण निकाय या प्रबन्ध कमेटी अथवा किसी अन्य की बैठक की कार्यवाहियों की एक प्रतिलिपि देगी ।

सहकारी समितियों के साधारण निकाय का गठन

78. किसी सहकारी समिति के साधारण सदस्य–

1– यदि ऐसे व्यक्ति हों जिनमें धारा 80 और धारा 81 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट पागल सदस्यों के अभिभावक और अव्यस्क सदस्यों के विधिक संरक्षक भी सम्मिलित हैं तो वे समिति के साधारण निकाय में या तो स्वयं या नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करेंगे।

2– यदि व्यक्ति से भिन्न हों तो समिति के साधारण निकाय में धारा 20 के खण्ड ''ख'' और''ग'' के उपबन्धों के अनुसार प्रतिनिधित्व करेंगे।

79. सहकारी समिति का साधारण निकाय, कृषि ऋण सहकारी समितियों को छोड़कर, निम्नलिखित स्थिति में गठित किया जायेगा :–

1– उसके सदस्यों के प्रतिनिधियों द्वारा–

(क) यदि सहकारी समिति की सदस्य संख्या –

(1) कम से कम 500 हो, और

(2) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के खण्ड "ग" से "ज" में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों,

(ख) यदि सहकारी समिति की सदस्य संख्या –

(1) कम से कम 51 हो, और

(2) कम से कम एक सहकारी समिति हो, और

(3) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के खण्ड "ग" से "ज" में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति हों, और समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार एक से अधिक राजस्व जिले में हो ।

(ग) यदि सहकारी समिति की सदस्य संख्या में –

(1) सहकारी समिति हो, और

(2) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के खण्ड "ग" से "ज" में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति हों, और समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार एक से अधिक राजस्व जिले में हो।

2. उस समस्त व्यक्ति विशेष सदस्यों और समिति के प्रतिनिधियों द्वारा

(क) यदि सहकारी समिति की सदस्य संख्या में –

(1) 50 से अधिक व्यक्ति न हों, और

(2) कम से कम एक सहकारी समिति हो, और

(3) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के खण्ड "ग" से "ज" में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों,

(ख) यदि सहकारी समिति की सदस्य संख्या में –

(1) 20 से अधिक व्यक्ति न हों, और

(2) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के खण्ड "ग" से "ज" में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति यदि कोई हों,

स्पष्टीकरण– इस नियम में प्रयुक्त शब्द ''सदस्य'' के अन्तर्गत साधारण सदस्य होगा किन्तु उनमें कोई सहयुक्त सदस्य सम्मिलित नहीं होगा।

80. जहां कोई सहकारी समिति किसी अन्य समिति से सम्बद्ध हो वहां पूर्ववर्ती समिति नियम 81 में निर्दिष्ट समितियों के सिवाय पश्चातवर्ती समिति के साधारण निकाय प्रतिनिधियों के रूप में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी एक या अधिक व्यक्तियों को, जैसा कि सम्बद्धकारी समिति की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाय, नियुक्त कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह पूर्ववर्ती समिति के साधारण निकाय का सदस्य न हो और उसमें नियमों और समिति की उपविधियों में प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित कोई अनर्हता न हो ।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां पश्चातवर्ती सहकारी समिति प्रबन्ध समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियां अथवा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करती है, वहां पूर्ववर्ती समिति पश्चातवर्ती समिति के साधारण निकाय में नियुक्त किये जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में से कम से कम एक प्रतिनिधि, यथास्थिति, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति अथवा महिला में से नियुक्त करेगी ।

81. निम्नलिखित समितियां निम्नानुसार प्रतिनिधि रख सकती हैं :–

क– जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने सामान्य निकाय में प्रत्येक सदस्य समिति से निम्नलिखित प्रतिनिधि रख सकती है –

1–प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति	6
2–ब्लॉक यूनियन	4
3–क्रय–विक्रय सहकारी समिति	4
4–जिला सहकारी परिसंघ (फैडरेशन)	2
5–जिला/थोक उपभोक्ता भण्डार	2
6–कोई अन्य समिति	2

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त 1 से 6 तक में प्रत्येक में कम से कम एक प्रतिनिधि अनुसूचित जातियों/जनजातियों, या अन्य पिछड़े वर्गों या महिलाओं में से होगा, जिसका निर्धारण चक्रानुक्रम में होगा ।

ख– जिला सहकारी फैडरेशन अपने साधारण निकाय में निम्नलिखित प्रतिनिधि रख सकता हैः–

1–क्रय–विक्रय सहकारी समिति	4
2–ब्लॉक यूनियन	2
3–प्रसंस्करण समिति	2
4–कोई अन्य समिति	2

प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक कम से कम एक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं का होगा, जिसका निर्धारण चक्रानुक्रम में होगा।

ग– जिला/थोक उपभोक्ता भण्डार अपने साधारण निकाय में प्रत्येक सदस्य समिति से 3 प्रतिनिधि रख सकता है, परन्तु प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डार की स्थिति में प्रतिनिधियों में कम से कम एक महिला होगी ।

घ– क्रय–विक्रय या प्रसंस्करण समितियां अपने साधारण निकाय में प्रत्येक सदस्य समिति से निम्नलिखित प्रतिनिधि रख सकती हैं –

1–प्रारम्भिक ऋण समिति	6
2–कोई अन्य समिति	2

प्रतिबन्ध यह है कि एक प्रतिनिधि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं का होगा, जिसका निर्धारण चक्रानुक्रम में होगा ।

ङ– ब्लॉक यूनियन अपने साधारण निकाय में प्रत्येक सदस्य समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली ग्राम सभाओं की संख्या के बराबर प्रतिनिधि रख सकती है ।

च.– जिला दुग्ध सहकारी संघ अपने साधारण निकाय में प्रत्येक सदस्य समिति से चार–चार प्रतिनिधि रख सकता है ।

प्रतिबन्ध यह है कि एक प्रतिनिधि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं का होगा, जिसका निर्धारण चक्रानुक्रम में होगा ।

छ– शीर्ष दुग्ध सहकारी संघ अपने साधारण निकाय में प्रत्येक सदस्य जिला दुग्ध सहकारी संघ से दो–दो प्रतिनिधि रख सकता है ।

प्रतिबन्ध यह है कि एक प्रतिनिधि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं का होगा, जिसका निर्धारण चक्रानुक्रम में होगा ।

ज– खण्ड ''क'' से ''छ'' के अन्तर्गत न आने वाली सहकारी समिति , प्रत्येक सदस्य समिति से, समिति की उपविधियों के अनुसार, प्रतिनिधि रख सकती है और समिति की उपविधियो में कोई ऐसी व्यवस्था न होने पर, प्रतिनिधियों की संख्या निबन्धक के निर्देशानुसार होगी ।

झ– जहां किसी सहकारी समिति के साधारण निकाय में अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों वहां अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की संख्या उतनी होगी जितनी समिति की उपविधियों में उपबन्धित की गई हैं और समिति की उपविधियों में ऐसा कोई उपबन्ध न होने पर, निबन्धक के निर्देशानुसार होगी।

ञ– कोई भी सहकारी समिति, किसी दूसरी सहकारी समिति में, प्रतिनिधित्व करने के लिए समिति के प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करेगी यदि उस व्यक्ति में नियम 473 के किसी भी उपनियम ''क'',''ख'',''ग'',''घ'',''ड.'',''च'',''छ'',''झ'',''ञ'',''ट'', ''ड'', ''ढ'' ''ण'' और "त" में निर्धारित कोई भी अनर्हता हो ।

प्रतिनिधियों का निर्वाचन

82. (क) समितियों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रकिया वही होगी जो समिति के निदेशक मण्डल के लिए निर्धारित है

(ख) निबन्धक प्रत्येक क्षेत्र या निर्वाचित क्षेत्र या सदस्यों के वर्ग से निर्वाचित किये जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या ऐसी रीति से अवधारित करेगा कि ऐसी समिति के जिसके 500 से अधिक व्यक्ति सदस्य हों, और जिसके साधारण निकाय में अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधि हों, साधारण निकाय में प्रबन्ध समिति के सदस्यों के तीन गुने या उसके सदस्यों के 10वें भाग के बराबर जो भी अधिक हो प्रतिनिधि हो जायें।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति के साधारण निकाय के प्रतिनिधियों के कुल संख्या, यदि सदस्यता 1500 या इससे कम हो तो, 50 से अधिक नहीं होगी, और अन्य मामले में 100 से अधिक नहीं होगी। अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, क्षेत्र या सदस्यों के वर्ग को समिति में उनकी सदस्यता के आधार पर साधारण निकाय में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

83. कोई व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति का पहले से ही प्रतिनिधि हो, ऐसा प्रतिनिधि नहीं रह जायेगा यदिः–

1. वह नियम 81 के उपनियम (ञ) में निर्दिष्ट कोई अनर्हता अर्जित कर लें, या
2. वह उस समिति का जिसका वह प्रतिनिधि हो सदस्य न रह जाये या
3. वह समिति जिसका वह प्रतिनिधि हो, उस समिति का जिसमें उसका प्रतिनिधित्व हो, सदस्य न रह जाय, या
4. वह समिति का सदस्य न रह गया हो जो ऐसी समिति का सदस्य था जिसने उसे किसी दूसरी सहकारी समिति में अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना हो या

5. वह उस पद पर न रह जाये जिसके कारण वह समिति की उपविधियों की शर्तों के अनुसार समिति का प्रतिनिधि था या
6. वह समिति, जिसका वह प्रतिनिधि था, धारा–72 के अधीन समापित कर दी जाये या
7. वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, किसी अन्य सहकारी समिति या समितियों के साथ सम्मिलित कर दी जाय या
8. वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो एक या अधिक समितियों में विभाजित कर दी जाय या
9. वह ऐसे प्रतिनिधि के पद से त्याग पत्र दे दें। त्यागपत्र अध्यक्ष को प्रेषित किया जायेगा तथा स्वीकार प्रबन्ध समिति करेगी या
10. वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो अपना कार्यकाल समाप्त होने पर निर्वाचन नहीं कराती है।

84. यदि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, राज्य भंडारागार निगम, सोसाइटीज, रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत कोई समिति तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत या निगमित कोई कम्पनी या अन्य निगमित निकाय किसी सहकारी समिति का सदस्य हो तो वह समिति के साधारण निकाय में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में सक्षम प्राधिकारी के आदेश से या साधारण निकाय, कार्यकारिणी समिति के किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के, यथास्थिति, संकल्प से किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

85. कोई प्रतिनिधि जो एक बार किसी सहकारी समिति के साधारण निकाय में निर्वाचित किया जाये, उस पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि या तो वह निकाय, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, जिसके स्थान पर दूसरा प्रतिनिधि निर्वाचित न कर दें, या वह नियम 83 में उल्लेखित कोई अनर्हता अर्जित न कर लें या उक्त धारण करने के लिए उस सहकारी समिति की जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो या जिसमें उसका प्रतिनिधित्व किया जाय, उपविधियों के उपबन्धों के आधार पर अपना अधिकार न खो दें।

247(2) यदि विवाद प्रबन्ध समिति के गठन या किसी सहकारी समिति के किसी पदाधिकारी या प्रतिनिधित्व के निर्वाचन या नियुक्ति से सम्बन्धित हो तो निर्देशः–

क– किसी शीर्ष सहकारी समिति के मामले में धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक को किया जायेगा।

ख– किसी शीर्ष समिति से विभिन्न किसी सहकारी समिति की दशा में उस जिले के जिसकी समिति हो, जिला मजिस्ट्रेज को किया जायेगा।

248 (ङ) जिला मजिस्ट्रेट विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है अथवा अपने अधीन अपर जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट में से किसी एक को, यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के रूप मे कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

दस्तावेजों का निरीक्षण और उनकी प्रमाणिक प्रतियां देना

394 (क) किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति को, निबन्धक के कार्यालय में दाखिल किये गये किसी सार्वजनिक दस्तावेज का, जिसके अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा– 123, 124, 129 और 131 के अधीन विशेषाधिकृत सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है, निरीक्षण के प्रत्येक अवसर पर 50 रुपये (पचास रुपये) का शुल्क देने पर निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

(ख) उप नियम–(क) के अधीन निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि ऐसा प्रार्थना पत्र निबन्धक को न दिया गया हो, जिसमें निरीक्षण किये जाने वाले दस्तावेजों और निरीक्षण करने का प्रयोजन न दिया गया हो और निबन्धक का इस बात से समाधान न हो जाये कि निरीक्षण के लिए प्रार्थना पत्र देने वाला व्यक्ति किसी मामले में किसी भी बात के निवारण के लिए या किसी अन्य वैध प्रयोजन के लिए निरीक्षण करना चाहता है, जिसमें उसका हित है।

395. (क) कोई भी व्यक्ति उप–नियम (घ) में विनिर्दिष्ट दर पर शुल्क का भुगतान करके, निबन्धक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल, अपीलीय प्राधिकारी या परिसमापक के कार्यकाल में दाखिल किये गये किसी सार्वजनिक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। सार्वजनिक दस्तावेज के अंतर्गत निबन्धक, मध्यस्था या मध्यस्थ मण्डल या अपीलीय प्राधिकारी या परिसमापक के निर्णय, आदेश या अभिनिर्णय भी होंगे।

(ख) उप नियम (क) के अधीन तब तक कोई प्रतिलिपि नहीं दी जायेगी जब तक कि यथास्थिति निबन्धक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष, अपीलीय प्राधिकारी या परिसमापक का यह समाधान न हो जाये कि ऐसी प्रतिलिपि के लिए प्रार्थना पत्र देने वाला व्यक्ति उस ऐसे किसी मामले में जिसमें उसका हित है किसी प्रकार की निवारण के लिए या किसी अन्य विधि पूर्ण प्रयोजन के लिए अपेक्षा करता हो।

(ग) इस नियम के अधीन दी गई प्रमाणित प्रतिलिपि पर, यथास्थिति निबन्धक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष, अपीलीय प्राधिकारी या परिसमापक की मोहर होगी और हस्ताक्षर होगा।

(घ) इस नियम के अधीन दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दर से शुल्क लिया जायेगाः–

(1) किसी सहकारी समिति के निबन्धन के लिए प्रार्थना–पत्र 50/–रू0

(2)	किसी सहकारी समिति के निबन्धन का प्रमाण–पत्र	50/–रू0
(3)	किसी सहकारी समिति की निबद्ध उपविधियां	5/–रू0 प्रति पृष्ठ किन्तु कम से कम 100 रूपये
(4)	किसी सहकारी समिति की उपविधियों का संशोधन	10/– रु. प्रति संशोधित उपविधि किंतु कम से कम 50/– रु.
(5)	कोई अन्य लेख्य	2/– रु. प्रति पृष्ठ किंतु कम से कम 25/– रु.

396. धारा 43(ग) के प्रयोजन के लिए किसी सहकारी समिति की बहियों की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां सम्यक रूप से प्रमाणित समझी जायेंगी, यदि समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य द्वारा या उसके निर्देशाधीन तैयार की जाय और उसके द्वारा तथा समिति के सभापति, या उपसभापति या सचिव द्वारा ठीक प्रमाणित किया जाये कि प्रविष्टियों की प्रति सही है;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि पर समिति की मुहर अवश्य होगी। समिति ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपियां जारी करने के लिए ऐसे शुल्क ले सकती है जो समिति की उपविधियों में निर्धारित हो;

397. किसी सहकारी समिति का कोई सदस्य, किसी कार्यालय समय में समिति के सचिव को प्रार्थना पत्र देकर और समिति की उपविधियों में निर्दिष्ट दर पर समिति को शुल्क देकर, या तो स्वयं अथवा किसी एजेन्ट द्वारा जो समिति का सदस्य होगा और तदर्थ लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत होगा, समिति के लेखों तथा अभिलेखों का केवल उतना निरीक्षण कर सकता है, जहां तक उनका सम्बन्ध समिति के साथ प्रार्थी सदस्य के व्यवहारों का हो।

415. (1) कोई सहकारी समिति (शीर्ष समिति को छोड़कर) अपनी प्रबन्ध समिति में उतने सदस्य रख सकती है जितने के लिए उसकी उपविधियों में व्यवस्था की गई हो किन्तु सदस्यों की संख्या–15 (पन्द्रह) से अधिक नहीं होगी। शीर्ष सहकारी समिति के उक्त संख्या अधिकतम 17 तक हो सकती है। समिति की कोई अन्य समिति या उप समिति उसकी प्रबन्ध समिति से छोटी होगी और किसी भी स्थिति में ऐसी समिति या उप समिति में 07(सात) से अधिक सदस्य नहीं होगें।

प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति में तीन संस्थायें जिन में से एक अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए, एक अन्य पिछड़े वर्गों एवं एक महिला के लिए आरक्षित होगा।

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्रीय और प्रारम्भिक उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थिति में तीन स्थान, जिनमें से दो महिलाओं के लिए और एक अनुसूचित जातियो या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए चक्रानुक्रम में आरक्षित होगा।

(2) जहां उपनियम–(1) में निर्दिष्ट कोई सहकारी समिति, किसी भी कारण से प्रबन्ध समिति में उतनी संख्या में व्यक्तियों का निर्वाचन न कर सके, जितने के लिए स्थान आरक्षित है या यदि उनमें कोई रिक्ति होती है, वहां प्रबन्ध समिति द्वारा ऐसे वर्ग के पात्र व्यक्तियों को ऐसी समिति की प्रबन्ध समिति में सहयोजित करके, यथास्थिति, रिक्ति या कमी को भरा या पूरा किया जा सकता है;

416. इस नियमावली या समिति की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी किन्तु, नियम 473 के अधीन रहते हुए यदि नियम 415 के उपनियम (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति में इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को, यथास्थिति, निर्बल वर्ग के उतने व्यक्ति या उतने महिलायें नहीं हैं जितना उपर्युक्त नियम में निर्दिष्ट किया गया है तो प्रबन्ध समिति ऐसी समितियों की प्रबन्ध समिति में उतने व्यक्ति सहयोजित करेगी जितने नियम 415 के उपनियम (1) के उक्त प्रतिबन्धात्मक खण्ड में विनिर्दिष्ट सीमा तक प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक हो और इस प्रकार सहयोजित कर दिये जाने पर सम्बद्ध समिति की प्रबन्ध समिति पर्ची उठाकर उतनी संख्या में व्यक्तियों को निवृत्त (रिटायर) करेगी जिससे कि प्रबन्ध समिति के ऐसे सहयोजित व्यक्तियों को स्थान दिया जा सके।

417. यदि किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को समाप्त न हुआ और ऐसी समिति की प्रबन्ध समिति में उतनी संख्या में व्यक्ति नहीं है जितने की व्यवस्था उपर्युक्त नियमावली में की गई है तो प्रबन्ध समिति ऐसी समिति की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, उसकी प्रबन्ध समिति में उतनी संख्या में व्यक्तियों को सहयोजित करेगी जितने ऊपर निर्दिष्ट नियम में विनिर्दिष्ट सीमा तक ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक हो और इस प्रकार नाम निर्देशन कर दिये जाने पर सम्बन्धित समिति की प्रबन्ध समिति पर्ची उठाकर अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों को निवृत्त करेगी, जिससे कि सहयोजित व्यक्तियों को स्थान दिया जा सके।

सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी नियम पंजीकरण के पश्चात बैठक और निर्वाचन

426. (1) किसी सहकारी समिति के पंजीकरण के दिनांक से 90 (नब्बे) दिन के भीतर या किसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जिसके लिए निबन्धक द्वारा लिखित रूप से अनुज्ञा दी जाय, समिति अपनी प्रथम साधारण बैठक करेगी जिसमें केवल वे व्यक्ति भाग लेने के हकदार होगें जिन्होंने समिति के पंजीकरण के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये हों।

(2) उप नियम में निर्दिष्ट बैठक के प्रयोजन के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना, जिसमें बैठक का दिनांक, समय, स्थान और कार्य–सूची उल्लिखित होगी उस व्यक्ति द्वारा दी जायेगी जिसने नियम 5 में निर्दिष्ट प्रथम हस्ताक्षरी के रूप में पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये हों।

427. यदि प्रथम हस्ताक्षरी उपर्युक्त बैठक बुलाने अथवा बुलाये जाने के लिए उपलब्ध न हो तो वह निबन्धक या उसके साधारण या विशेष आदेश से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बुलाई जाएगी।

428. नियम 426 में निर्दिष्ट प्रथम साधारण बैठक में, निम्नलिखित क्रम से कार्य सम्पादित किया जायेगाः–

(1) बैठक की अध्यक्षता करने के लिये व्यक्ति का निर्वाचन (निर्वाचन हाथ उठाकर किया जाएगा) ;

(2) समिति के गठन के दिनांक से बैठक के दिनांक तक लेखों के विवरण पत्र पर विचार करना ;

(3) नियम 426 के उप नियम (1) में की गयी व्यवस्था के अनुसार बैठक में भाग लेने के लिये हकदार व्यक्तियों में से, अस्थायी प्रबन्ध समिति का गठन ;

(4) अस्थायी समिति के सदस्यों में से समिति के सभापति तथा उप सभापति का निर्वाचन;

(5) समिति द्वारा प्रथम वार्षिक साधारण बैठक तक लिये जाने वाले अधिकतम दायित्व, निश्चित करना

(6) नये सदस्य बनाना, और

(7) कोई अन्य विषय जो समिति की उपविधियों को ध्यान में रखते हुये आवश्यक हो ;

429. नियम 456 में दी गयी प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित नियम 428 के खण्ड (4) के अधीन निर्वाचन के प्रयोजन के लिये लागू होगी।

430. नियम 428 के खण्ड (3) के अधीन गठित अस्थायी प्रबन्ध समिति और उस नियम के उपनियम (4) के अधीन निर्वाचित सभापति और उप सभापति तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि क्रमशः प्रबन्ध समिति सम्यक् रूप से संगठित न हो जाय और सभापति या उप सभापति का निर्वाचन न हो जाय।

भाग दो
सहकारी समितियों के सम्बन्ध में निर्वाचन नियम

431. किसी सहकारी समिति की निर्वाचित प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व, निबन्धक का यह कर्त्तव्य हेागा कि वह नयी प्रबन्ध समिति का पुनगर्ठन अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अनुसार कराये। समिति के सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि निर्वाचित प्रबन्ध समिति के कार्यकाल की समाप्ति के चार माह पूर्व उस जिले के, जिसमें समिति का रजिस्ट्रीकृत मुख्यालय स्थित है, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों को अथवा उस अधिकारी को, जिसे समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिये निबन्धक द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किया जाय, लिखित रूप से, समिति की निर्वाचित प्रबन्ध समिति के कार्यकाल के समाप्त होने के दिनांक की सूचना देगा और निर्वाचन क्षेत्र के अवधारण के लिये अनुरोध करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भिक सहकारी समितियेां के मामलें में, जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां या प्राधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा के पूर्व, नियम 450 में विहित रीति से निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण करेगा। प्रारम्भिक समितियों से भिन्न समितियों के मामलें में निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण मण्डल के उपनिबन्धक, सहकारी समितियां/उप निबन्धक, सहकारी समितियां, मुख्यालय अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, जिनके कार्य क्षेत्र में समिति का मुख्यालय स्थित है, किया जाएगा।

432 निर्वाचन क्षेत्रों के अवधारण के लिये समिति का सचिव अथवा, यथास्थिति, प्रबन्ध निदेशक, वह समस्त सूचनायें अथवा तथ्य, जिनकी अपेक्षा जिला सहायक निबन्धक अथवा मण्डल के उप निबन्धक, सहकारी समितियां ,उप निबन्धक , सहकारी समितियां, मुख्यालय अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाये, उपलब्ध करायेगा।

433 समिति का सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, समय–समय पर निबन्धक द्वारा दिये गये निर्देशों के या तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार समस्त मतदाताओं की सूची, जिसमें नामों के सम्मुख अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों में वर्णित अनर्हता, यदि कोई हो, उल्लिखित की जायेगी, तैयार करेगा और इस सूची में निर्वाचन के दिनांक के 45 दिन पूर्व सम्यक् रूप से नामांकित साधारण सदस्य ही सम्मिलित किये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि जिन समितियों के साधारण निकाय का गठन व्यक्तिगत सदस्यों एवं समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा अथवा केवल समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा होता है, उनकी मतदाता सूची नियम 85 के अधीन तैयार की जायेगी और इस प्रकार तैयार की गयी मतदाता सूची अनन्तिम मतदाता सूची

कहलायेगी जिस पर सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक तथा प्रबन्ध समिति के सभापति के हस्ताक्षर और मुहर होंगी।

434 नियम 433 के अनुसार तैयार की गयी अनन्तिम मतदाता सूची निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस दिनांक, समय और स्थान पर जो निर्वाचन कार्यक्रम में अधिसूचित किया जाय, प्रदर्शित की जायेगी।

435 जिला सहायक निबन्धक अथवा प्राधिकृत अधिकारी जिले के जिला मजिस्ट्रेट को समितियों की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के 60 दिन पूर्व उन समितियों की सूची उपलब्ध करायेगा तथा सम्बन्धित समिति के निर्वाचन के लिये निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध करेगा।

436 उपविधियों में किसी बात के होते हुये भी, किसी सहकारी समिति या समितियों या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों का निर्वाचन अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार होगा और उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जहां समिति का मुख्यालय स्थित हो, नियत दिनांक को निर्वाचन कराने के लिए कार्यवाही करेगा और इस प्रयोजन के लिए वह किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की सेवाएं मांग सकता है और यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी के सम्बन्ध में ऐसा कोई आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया है तो उसका पालन न करना अपराध समझा जायेगा, जिसके दोष सिद्ध होने पर जुर्माने से जो 1,000/– रुपये (एक हजार रुपये) तक हो सकता है या कारावास से जो तीन माह तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समितियों की स्थिति में जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक जिले में हो, उस जिले से जो ऐसी समिति के कार्य क्षेत्र में पड़ता हो, किसी सदस्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन आयोजित करने का प्राधिकार का प्रयोग सम्बद्ध जिले के जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अधिनियम, इस नियमावली एवं समिति की उप विधियों में अधिलिखित रीति से निर्वाचन सम्पन्न कराये और उसका संचालन करे।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा निर्वाचन और उसके परिणाम की घोषणा, बहिर्गामी प्रबन्ध समिति के कार्यकाल की समाप्ति के कम से कम 15 दिन पूर्व कराया जायेगा ताकि कार्यकाल समाप्ति के तत्काल बाद नव निर्वाचित प्रबन्ध समिति बहिर्गामी प्रबन्ध समिति का स्थान ग्रहण कर ले। निर्वाचन अधिकारी उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो निर्वाचन कराने के लिये आवश्यक हों। अपरिहार्य परिस्थितियों में और अकाट्य कारणों से जिला मजिस्ट्रेट निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन के दौरान बदल सकता है, ऐसे मामलें में वह व्यक्ति जो निर्वाचन अधिकारी के रूप में उत्तराधिकारी हो, निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन करायेगा।

437. (1) किसी सहकारी समिति या समितियों या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों का निर्वाचन ऐसे दिनांक को होगा, जिसे निबन्धक आदेश द्वारा नियत करे और सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट इस प्रकार नियत किये गये दिनांक को, इस प्रयोजन के लिए एक या अधिक निर्वाचन अधिकारी या समिति के भिन्न भिन्न वर्ग या वर्गों के लिए या भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न अधिकारी नियुक्त करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि उस विभाग का, जो समिति के प्रबन्ध और प्रशासन से सम्बद्ध हो, कोई अधिकारी निर्वाचन अधिकारी नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी ऐसे समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा जो इस नियमावली के अधीन उसे विहित किये जायं या उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रासंगिक या आवश्यक हों, किन्तु किसी निर्वाचन अधिकारी की अनुपस्थिति में कोई मतदान अधिकारी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, निर्वाचन अधिकारी के कार्यों का पालन करेगा।

(3) इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऐसे सरकारी सेवकों में से जो समितियों के प्रबन्ध और प्रशासन से सम्बद्ध न हो, निर्वाचन के संचालन में अपनी सहायता के लिए मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(4) उपनियम (3) के अधीन रहते हुए निर्वाचन अधिकारी उतनी संख्या में मतदान अधिकारी नियुक्त करेगा जितनी संख्या में मतदान केन्द्र/मतकक्ष (बूथ) हों और उनके लिए मतपेटियों, मतपत्रों, अन्तिम मतदाता सूची की एक प्रति और अन्य ऐसी उपसाधनों की व्यवस्था करेगा, जो निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक हो।

438. सम्बन्धित समिति की प्रबन्धक समिति, उसका सचिव और प्रत्येक अधिकारी, निर्वाचन कराने में निर्वाचन–अधिकारी को पूरी सहायता देने के लिये बाध्य होंगे और ऐसे सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे जिनकी निर्वाचन अधिकारी इस प्रयोजन के लिये अपेक्षा करे।

439 यदि किसी अभ्यर्थी की जिसका नामांकन नियम 451 एवं 456 के अधीन विधि मान्य पाया गया हो और जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस न ली हो, मृत्यु हो जाती है और मतदान होने के पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी, उस अभ्यर्थी की मृत्यु की सत्यता के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेने के पश्चात सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को प्रत्यादिष्ट (countermand) कर देगा और इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट और निबन्धक को देगा और उस निर्वाचन क्षेत्र या पद के लिये नामांकन नये सिरे से दाखिल किये जायेंगे, किन्तु उस व्यक्ति के लिये जो मतदान के प्रत्यादिष्ट किये जाने के समय निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी था, कोई अतिरिक्त नामांकन आवश्यक न होगा और ऐसा व्यक्ति जिसने मतदान प्रत्यादिष्ट किये जाने के पूर्व अपना नामांकन वापस लिया था, वह ऐसे

प्रत्यादिष्ट किये जाने के पश्चात् नामांकन दाखिल करने के लिये अनर्ह न होगा और मतदान ऐसे प्रत्यादिष्ट के पश्चात उस दिनांक को होगा जो निबन्धक द्वारा नियत किया जाय।

440. यदि मतदान स्थल पर बलवे या खुली हिंसा के कारण मतदान या निर्वाचन की किसी कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हो जाय या किसी प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य अकाट्य कारण से किसी स्थान पर निर्वाचन कराया जाना सम्भव न हो तो ऐसे निर्वाचन के लिये नियुक्त निर्वाचन अधिकारी, बाद में अधिसूचित किये जाने वाले आगामी दिनांक तक के लिये निर्वाचन के स्थगन की घोषणा करेगा। ऐसे स्थगन की सूचना तत्काल जिला मजिस्ट्रेट और निबन्धक को दी जायेगी जिस पर निबन्धक निर्वाचन के लिये नया दिनांक नियत करेगा।

441 यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण निबन्धक द्वारा नियत किये गये दिनांक को निर्वाचन कराया जाना कठिन हो गया है तो, वह निबन्धक को निर्वाचन स्थगित करने का निदेश दे सकेगी, और तत्पश्चात निबन्धक निर्वाचन स्थगित करेगा और निर्वाचन के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाहियां सभी प्रकार से नये सिरे से प्रारम्भ की जायेंगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन कर लिये गये हैं और चिन्हों का आवंटन कर लिया गया है तो निर्वाचन की कार्यवाही आगे चलायी जायेगी और निर्वाचन ऐसे दिनांक को कराया जायेगा, जो निबन्धक नियत करे।

442 कोई उम्मीदवार, प्रबन्ध समिति के एक से अधिक पद के लिये साथ–साथ चुनाव लड़ने के लिये अर्ह न होगा। यदि एक से अधिक पद के लिये नामांकन पत्र वैध पाये जायें तो उसे केवल एक पद के लिये विकल्प देना होगा तथा अन्य के लिये अपना नामांकन पत्र वापस लेना होगा। नामांकन वापसी के लिये निश्चित दिनांक के पूर्व यदि वह अपने विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है तो उसके समस्त नामांकन पत्र अवैध हो जायेंगे। एक चुनाव क्षेत्र में एक प्रत्याशी का एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक होगा। वह किसी अन्य प्रत्याशी का प्रस्तावक व समर्थक नहीं होगा।

''स्पष्टीकरणः– जहां किसी चुनाव क्षेत्र में एक ही मतदाता हो और वही उम्मीदवार हो अथवा जितने उम्मीदवार हो, उनके लिए उतने प्रस्तावक एवं समर्थक उपलब्ध ही न हों, तो नामांकन–पत्र इस आधार पर अवैध नहीं हो जायेंगें कि उम्मीदवार के प्रस्तावक एवं समर्थक नहीं हैं।''

443 प्रत्येक मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी या कोई व्यक्ति जिसे मतदान कराने के लिये या मतपत्रों की गणना के लिये नियुक्त किया गया हो, ऐसी कोई सूचना किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो इसे प्राप्त करने के लिये विधिक रूप से प्राधिकृत न हों, नहीं देगा या ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, जिससे मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती हो।

444 नियम 443 के उल्लंघन में किया गया कोई कृत्य या जानकारी देना प्रकट करना अपराध समझा जायेगा और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिनके विरूद्ध ऐसा अपराध सिद्ध हो जाय उनको 6 (छः) माह के कारावास या जुर्माने, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

445 (1) कोई व्यक्ति जो निर्वाचन अधिकारी है, या निर्वाचन कराने के लिये नियुक्त किया गया है या किसी समिति का कोई अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी, जिसे निर्वाचन के संचालन में सहायता करने के लिये नियुक्त किया गया है, निर्वाचन की प्रकिया के दौरान, ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, या किसी मतदाता या अभ्यर्थी को इस प्रकार प्रभावित नहीं करेगा, जिससे किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन में सफल होने की सम्भावना में वृद्धि या ह्रास होता हो।

(2) उपनियम (1) के उल्लघंन में किया गया कोई आचरण या कृत्य यदि सिद्ध हो जाता है तो दण्डनीय अपराध समझा जायेगा और जो पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

446 प्रत्येक निर्वाचन में, मतदान समाप्त होने के पश्चात, मतपत्रों की गणना निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 454 में विहित रीति से करायी जायेगी और प्रत्येक प्रत्याशी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेन्ट) और गणना अभिकर्ता का यह अधिकार होगा कि वे गणना के समय उपस्थित रहें।

447. अधिनियम के उपबन्ध और अधिनियम के अधीन जारी किये गये नियम और आदेश प्रत्येक पुनर्मतदान पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे मूल मतदान के लिये लागू होते हैं।

448 यदि निर्वाचन के पश्चात् किसी समिति की प्रबन्ध समिति के निर्वाचित सदस्यों की संख्या विहित गणपूर्ति से कम पाई जाती है तो रिक्त स्थानों के लिये चुनाव यथाशीघ्र कराये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियम 415 के उप नियम (1) के अधीन आरक्षित स्थान से भिन्न अन्य किसी एक या अधिक स्थानों के लिये कोई वैध नामांकन प्राप्त न हो, तो ऐसी रिक्ति, नियम 470 और 471 के अधीन दी गयी रीति से, सहयोजन द्वारा भरी जायेगी।

449 यदि किसी कारण से जिला मजिस्ट्रेट या निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी समिति का निर्वाचन रोका गया है, तो निर्वाचन की प्रकिया उस प्रक्रम से जहां पर उसे रोका गया था, या उसके पूर्व के प्रक्रम से या नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी, जैसा कि निबन्धक विनिश्चित करें।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन पत्रों पर अन्तिम निर्णय लिया जा चुका हो और चिन्हों का आवंटन कर लिया गया है तो निर्वाचन की कार्यवाही आगे चलायी जायेगी और निर्वाचन ऐसे दिनांक को कराया जायेगा, जो निबन्धक नियत करे।

450 (1) जिस वर्ष किसी सहकारी समिति का निर्वाचन किया जाना हो, उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट `जिसमें समिति या समितियों का मुख्यालय स्थित हो, निबन्धक के आदेश के अधीन रहते हुये किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों का निर्वाचन निम्न प्रकार से कराने की व्यवस्था करेगाः–

(क) उन प्रारम्भिक समितियों से, जिनका कार्यक्षेत्र एक राजस्व जिले से अधिक जिले में हो, भिन्न प्रारम्भिक समिति के मामले में प्रबन्ध समिति, सभापति उप सभापति और अन्य समिति के साधारण निकाय के प्रतिनिधि;

(ख) इस नियम के खण्ड (ग) से (ङ) में निर्दिष्ट क्रय–विक्रय समितियों, ब्लॉक यूनियन और केन्द्रीय समितियों से भिन्न अन्य क्रय–विक्रय समितियों, ब्लॉक यूनियन और केन्द्रीय समितियों की स्थिति में, प्रबन्ध समिति, सभापति, उपसभापति और दूसरी समिति के साधारण निकाय के लिए प्रतिनिधि और ऐसी समितियों के मामले में जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राजस्व जिलों में हो और जिनमें अलग–अलग सदस्यों की सदस्यता हो, साधारण निकाय के लिए अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधि;

(ग) केन्द्रीय/जिला सहकारी बैंक से भिन्न अन्य जिला सरकारी परिसंघ (फेडरेशन) और अन्य जिला स्तर की समितियों की स्थिति में, प्रबन्ध समिति, सभापति, उप सभापति और दूसरी समिति के साधारण निकाय के लिए प्रतिनिधि;

(घ) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थिति में प्रबन्ध समिति, सभापति, उप सभापति और दूसरी समिति के साधारण निकाय के लिए प्रतिनिधि और शीर्ष समितियों से भिन्न अन्य समितियों की स्थिति में जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राजस्व जिलों में हो, प्रबन्ध समिति, सभापति, उप सभापति और दूसरी समिति के साधारण निकाय के लिए प्रतिनिधि;

(ङ) किसी अन्य समिति की, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति सम्मिलित है, प्रबन्ध समिति, सभापति, उपसभापति और साधारण निकाय के लिए शीर्ष समिति के प्रतिनिधि।

प्रतिबन्ध यह है कि उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिसमें उक्त समितियों की शाखा/शाखायें या ऐसी समितियों का, जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राजस्व जिलों में है, उप कार्यालय स्थित हो , ऐसी समितियों के साधारण निकाय के सदस्यों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की व्यवस्था निबन्धक द्वारा विनिर्दिष्ट दिनांक को की जायेगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह कि निबन्धक विशेष परिस्थितियों में, उसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात किसी सहकारी समिति या किसी वर्ग या वर्गों की सहकारी समितियों या किसी क्षेत्र या क्षेत्रों की सहकारी समितियों के लिए, समय सारणी में ऐसी वृद्धि अधिनियम की धारा 29 के उपबन्धों के अधीन होगी।

(2) जिला सहायक निबन्धक या निबन्धक के अधीनस्थ उसके द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी ऐसी सहकारी समितियों के सम्बन्ध में जिनका मुख्यालय उस जिले में स्थित हो, ऐसे प्रपत्र में एक रजिस्टर रखेगा जो निबन्धक द्वारा नियत किया जाय, जिसमें साधारण निकाय की प्रबन्ध समिति और समिति के प्रतिनिधियों के गठन से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) किसी सहकारी समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त ऐसी सूचना और विवरण निबन्धक या निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करे, जिसकी वह समय–समय पर अपेक्षा करे।

(4) सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति के सदस्यों के या, यथास्थिति, सहकारी समिति के साधारण निकाय के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ निबन्धक, समिति की उपविधियों में किसी बात के होते हुये भी, सहकारी समिति या यथास्थिति सहकारी समिति के किसी वर्ग के निर्वाचन के लिए नियम 451 के उपनियम (2) के अधीन नोटिस जारी करने के पूर्व अनन्तिम रूप से निम्नलिखित बातें अवधारित करेगाः–

(क) निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जिनमें समिति का कार्य क्षेत्र विभाजित किया जाएगा,

(ख) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की सीमा,

(ग) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवंटित स्थानों की संख्या,

(घ) निर्बल वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या,

(5) तदुपरान्त निबन्धक उपनियम (4) के अधीन आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए की गयी अनन्तिम अवधारणा का किसी स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा जिसे ऐसे प्रकाशन के दिनांक से सात दिन के भीतर किया जा सकेगा। उसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्व समिति को भी समीक्षा के लिए भेजी जाएगी ।

(6) निर्वाचन क्षेत्र के अवधारण का मानदण्ड निम्नलिखित में से एक या अधिक पद आधारित हो सकता है, अर्थातः–

(1) राजस्व क्षेत्र,

(2) सदस्यता का/के वर्ग,

(3) समिति के कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में अन्य तर्कसंगत आधार,

प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति की स्थिति में अवधारण की इकाई यथासम्भव, समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली एक या अधिक ग्राम सभा होगी।

(7) उपनियम (5) के अधीन प्राप्त आपत्तियों और टिप्पणियों पर निबन्धक द्वारा ऐसे प्रकाशन के तेरहवें दिन विचार किया जाएगा और तदुपरान्त वह निर्वाचन क्षेत्रों, स्थानों की कुल संख्या और उपनियम (4) के

खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट निर्बल वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या अन्तिम रूप से अवधारित करेगा।

(8) उपनियम (7) के अधीन निर्वाचन क्षेत्रों का अन्तिम अवधारण ऐसे प्रकाशन के 15 वें दिन स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्व समिति और सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।

(9) यदि अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशन किये जाने के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का पुनः अवधारण आवश्यक हो तो, निबन्धक उस समय जब प्रबन्ध समिति के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन किया जाना हो, इस नियम में निर्धारित रीति से निर्वाचन क्षेत्र पुनः अवधारित करेगा।

451 *(1)* निर्वाचन अधिकारी अपनी अधिकारिता के किसी क्षेत्र या क्षेत्रों की समितियों के किसी वर्ग या वर्गों की या सहकारी समितियों के किसी समूह (ग्रुप) या समूहों के निर्वाचन का/के दिनांक स्थानीय दैनिक समाचार–पत्र में अधिसूचित करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतदान के दिनांक से तीस दिन से अनधिक कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस निम्नलिखित को देगा जिसमें उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना दी जायगीः–

(i) व्यक्तिगत सदस्यों को या तो साधारण निकाय में व्यक्तिगत सदस्यों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की स्थिति में या ऐसी सहकारी समितियों में जिनका व्यक्तिगत सदस्यों का साधारण निकाय हो, प्रबन्ध समिति के निर्वाचन की स्थिति में,

(ii) प्रतिनिधियों को ऐसी समितियों के मामले में जिनके साधारण निकाय में, यथास्थिति, व्यक्तिगत सदस्यों या समिति के सदस्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों,

(iii) व्यक्तिगत सदस्यों और समिति के सदस्यों के प्रतिनिधियों को ऐसी समितियों के मामले में जिनके साधारण निकाय में निम्नलिखित एक या अधिक प्रकार से व्यक्तिगत सदस्य और समिति के सदस्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों, अर्थातः–

(क) व्यक्तिगत रूप से अभिस्वीकृति लेकर,

(ख) डाक प्रमाणित पत्र द्वारा,

(ग) डुग्गी पीटकर उद्घोषणा द्वारा;

(घ) स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन के द्वारा।

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (2) या (3) के अन्तर्गत आने वाली समितियों की स्थिति में निर्वाचन का नोटिस और कार्यक्रम मतदान से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व ऐसे स्थानीय दैनिक समाचार–पत्रों में भी प्रकाशित किया जायेगा, जिनका समिति के कार्यक्षेत्र में परिचालन हो।

(3) निर्वाचन अधिकारी, समिति के सूचना पट्ट पर निम्नलिखित निवार्चन कार्यक्रम प्रदर्शित करेगाः–

(1) अनन्तिम मतदाता सूची के प्रदर्शन का दिनांक,

(2) आपत्तियां दाखिल करने और उनके निस्तारण का दिनांक, समय और स्थान,

(3) अन्तिम मतदाता सूची के प्रदर्शन का दिनांक,

(4) नाम–निर्देशन दाखिल करने का दिनांक, समय और स्थान,

(5) नाम–निर्देशन पत्रों पर आपत्ति एवं आपत्तियों का निस्तारण, प्राप्त करने का दिनांक, समय और स्थान,

(6) नाम–निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक, समय और स्थान,

(7) नाम–निर्देशन वापस लेने का दिनांक, समय और स्थान,

(8) चुनाव चिन्ह आवंटित करने और अन्तिम नाम–निर्देशन प्रदर्शित करने का दिनांक,

(9) मतदान का दिनांक, समय और स्थान।

प्रतिबन्ध यह है कि मतदान का स्थान समिति का कार्यालय/मुख्यालय होगा। उन कारणों से जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे, वह समिति के कार्यालय/मुख्यालय से यथासम्भव निकट कोई सार्वजनिक स्थान हो सकता है और जिसे कार्यक्रम के नोटिस में उल्लिखित किया जायेगा,

(10) वह स्थान जहां मतदाता द्वारा मतदान सूची का निरीक्षण किया जा सकता है,

(11) निर्वाचन क्षेत्रों के नाम जिसमें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी सम्मिलित हैं और निर्वाचन किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या।

(4) सम्बद्ध समिति का सचिव/प्रबन्धक निदेशक व्यक्तिगत सदस्यों की सूची तैयार करायेगाः–

(1) उन समितियों की स्थिति में जिनके साधारण निकाय में अलग–अलग सदस्य हों या उन समितियों की स्थिति में जिनके साधारण निकाय में अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधि हों, और

(2) उन समितियों की स्थिति में जिनके साधारण निकाय में अलग–अलग सदस्य और समितियों के सदस्य सम्मिलित हों:–

अलग–अलग सदस्यों की एक सूची तीन प्रतियों में तैयार करायेगा जिसमें मतदान के दिनांक से 45 दिन पूर्व तक के बनाये गये सदस्यों को समिति की पुस्तिकाओं में अंकित नाम, पिता का नाम, पता, अनर्हता, यदि कोई हो, दिखाया जायेगा (जिसे आगे अनन्तिम सूची कहा गया है) और सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी:–

(क) प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों की स्थिति में ग्राम सभावार,

(ख) नगर–क्षेत्रों में प्रारम्भिक उपभोक्ता समिति की स्थिति में मोहल्लावार/वार्डवार और नगर क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में निबन्धक के निदेशानुसार,

(ग) अन्य समितियों की स्थिति में निर्वाचन क्षेत्रवार/क्षेत्रवार या किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर जो निबन्धक द्वारा विनिश्चित किया जाये, ओर उसे खण्ड (1) के अन्तर्गत आने वाली समिति की स्थिति में निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी सहकारी समिति की स्थिति में जिसकी सदस्य अन्य समितियां या खण्ड (2) के अन्तर्गत आने वाली समितियों हों, ऐसी सूची समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम मतदाना सूची प्रकाशित होने के पूर्व न प्राप्त हुए हों तो वर्तमान प्रतिनिधियों के नाम सहित निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(5) निर्वाचन अधिकारी मतदान के दिनांक के पूर्व जिले में स्थित समिति के मुख्यालय में और अन्य मामलों में शाखाओं के कार्यालय में अनन्तिम मतदाता सूची प्रदर्शित करेगा।

(6) अनन्तिम मतदाता सूची के सम्बन्ध में, आपत्तियां, यदि कोई हों, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत दिनांक, समय और स्थान पर सुनी जायेंगी और उनका विनिश्चय किया जायगा।

(7) मतदाता सूची निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार कराई जायगी और उसे निर्वाचन स्थान और समिति के मुख्यालय में, यदि जिले में स्थित हो, और अन्य स्थिति में समिति की शाखा या उपकार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा। मतदाता सूची की एक प्रति निबन्धक को भेजी जायेगी। मतदाता सूची निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत मूल्य का भुगतान करने पर विक्रय के लिए यथास्थिति, समिति या शाखा के कार्यालय में भी उपलब्ध कराई जायगी।

452. (1) कोई प्रत्याशी निम्नलिखित शुल्क देकर नामांकन पत्र (प्रपत्र"ट") निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकता है:

(क) प्रारम्भिक सहकारी समितियों के लिये – 100/– रु0

(ख) जिला सहकारी बैंक से भिन्न केन्द्रीय समितियों, जिला संघ और क्रय–विक्रय समितियों के लिये 250/– रु0

(ग) जिला सहकारी बैंक एवं नगरीय बैंक के लिये – 300/– रु0

(घ) शीर्ष सहकारी समितियों के लिये – 500/– रु0

(ड़) अन्य समितियों के लिये – 200/– रु0

(2) उपनियम (1) के अधीन प्राप्त शुल्क निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहकारी बैंक में खोले गये जिला सहकारी समिति निर्वाचन खाते में जमा की जाएगी, जिसका विवरण निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला सहायक निबन्धक को निर्वाचन परिणाम के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन में नामंकन पत्र दाखिल नही करेगा, यदि–

(i) वह मतदान के लिए पात्र न हो,

(ii) वह अधिनियम नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन अनर्ह हो।

(4) नामांकन के लिए प्रस्ताव प्रपत्र ''ट'' में निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधित किया जायगा। नामांकन के सम्बंध में आपत्ति भी उसे सम्बोधित की जायेगी और ऐसी आपत्ति किसी मतदाता द्वारा ही की जानी चाहिए।

(5) उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता (एजेन्ट) के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी प्रविष्टि एक रजिस्टर में, नितांत कालानुक्रम में की जायेगी और मांगे जाने पर उसकी रसीद भी दी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि नामांकन का प्रस्तावक और अनुमोदक उम्मीदवार से भिन्न कोई अन्य मतदाता होगा।

(6) रजिस्टर में निम्नलिखित बातें प्रदर्शित की जायेगीः–

(1) उम्मीदवारों का नाम;

(2) प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम;

(3) नामांकन पत्र प्राप्त होने का दिनांक, समय और उस पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(7) निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्र दाखिल करने का समय समाप्त हो जाने के पश्चात् रजिस्टर में अन्तिम नामांकन पत्र की प्रविष्टि के नीचे एक क्षैतिज रेखा (horizontal line) खीचेगा, उसके नीचे शब्द (नामांकन समाप्त) लिखेगा और दिनांक और समय सहित अपने हस्ताक्षर करेगा। समय समाप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र, नामांकन की एक सूची, समिति के सूचना–पट्ट पर प्रदर्शित की जायगी।

(8) निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की संवीक्षा का कार्य वर्णमाला क्रम में विनिर्दिष्ट दिनांक को करेगा और उम्मीदवार/उसका प्रस्तावक या अनुमोदक संवीक्षा के समय उपस्थित रह सकता है।

(9) नामांकन की संवीक्षा करते समय निर्वाचन अधिकारी–

(क) नामांकन पत्रों में नाम या संख्या के सम्बन्ध में किसी लिपिकीय भूल को मतदाता सूची में तत्स्थानी प्रविष्टियों के अनुरूप करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है;

(ख) जहां आवश्यक हो, यह निर्देश दे सकता है कि उक्त प्रविष्टियों पर ध्यान न दिया जाये।

(10) संवीक्षा के समय, निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के संबंध में विनियम पृष्ठाकिंत करेगा। अस्वीकार किये जाने की स्थिति में वह ऐसे अस्वीकरण के लिए अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करेगा। जिस उम्मीदवार का नामांकन अस्वीकार किया जाय, वह निर्वाचन अधिकरी को पांच रुपये शुल्क देकर अस्वीकरण आदेश की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। निर्वाचन अधिकारी इस धनराशि को सम्बद्ध समिति में जमा कर देगा,

(11) नामांकन वापस लेने के लिए आवेदन पत्र नियत प्रपत्र में केवल सम्बद्ध उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा।

(12) नामांकन वापस लेने के पश्चात निर्वाचन अधिकारी नामांकन को अन्तिम रूप देने के उपरान्त, वह निबन्धक द्वारा अनुमोदित चिन्हों की सूची से एक चिन्ह, चिन्हों के उसी क्रम में जिस क्रम में वह अनुमोदित सूची में इंगित किया गया है प्रत्येक वैध नामांकन के लिए आवंटित करेगा और यदि वैध नामांकन की संख्या निबन्धक द्वारा अनुमोदित चिन्हों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन अधिकारी कोई अन्य चिन्ह आवंटित कर सकता है जो निबन्धक द्वारा अनुमोदित चिन्हों से भिन्न, किन्तु उनसे साम्य रखता हो। इस प्रकार आवंटित चिन्ह सम्बद्ध उम्मीदवार के लिए बन्धनकारी होगा।

(13) अन्तिम नामांकनों की सूची, जिसमें उम्मीदवारों के नाम उनके अपने अपने चिन्ह और नाम निर्देशन पत्रों में दिये गये पतों सहित हिन्दी वर्णमाला क्रम मे दिये गये होंगे, मतदान के दिनांक के पूर्व समिति के मुख्यालय पर, यदि जिले में स्थित हो, और अन्य स्थिति में शाखा के कार्यालय पर प्रदर्शित की जायेगी।

453. (1) यदि वैध नामांकनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक न हो तो, निर्वाचन अधिकारी केवल मतदान के दिनांक के पश्चात उन्हें सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधिमान्य नामांकनों की संख्या उस क्षेत्र से निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर हो, और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में विधिमान्य

नामांकनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो, वहां निर्वाचन अधिकारी, उस निर्वाचन क्षेत्र का जिसमें नामांकन निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर प्राप्त हुए हों, परिणाम अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो जाने के पश्चात घोषित करेगा।

(2) यदि विधिमान्य नामांकनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो, तो निर्वाचन अधिकारी नियत दिनांक को मतदान कराने का प्रबन्ध करेगा।

(3) प्रत्येक मतदाता को एक मत पत्र दिया जायेगा जो या तो निबंधक के निर्देशुनसार मुद्रित, टंकित, या छायाचित्र किया हुआ या हस्तलिखित होगा, जिस पर हिन्दी वर्णानुक्रम के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को हस्तलिखित/मुद्रांकित नाम जिस पर उनके नाम के सामने चिपकाया गया, मुद्रित, स्याही से खींचा गया या मोहर लगा हुआ उनका (चुनाव) चिन्ह होगा। इसमें एक खाली स्तम्भ मतदाता द्वारा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के नाम के सामने जिन्हें वह मतदान करना चाहें, एक चिन्ह (ग) अंकित करने के लिए भी होगा।

(4) मतपत्र क्रमांकित होंगे और उन पर समिति की मुहर और सम्बद्ध मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर भी होंगे।

(5) मतदान गुप्त मत पत्र द्वारा होगा, मतदान उस उम्मीदवार के नाम के सामने जिसे वह मत देना चाहते हैं, एक चिन्ह(X) लगायेगा और मतपत्र को गुप्त रूप से मत पेटी में डाल देगा।

(6) प्रत्येक मतदाता के सामने उतने मत होंगे जितने व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाना है किन्तु कोई मतदाता किसी एक उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं देगा।

(7) चुनाव लड़ने वाला कोई उम्मदीवार या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता मतपत्र जारी किये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक आपत्ति के लिए 5 रुपये (पांच रुपये) का शुल्क देकर मतदान की पहचान के रूप में आपत्ति कर सकता है।

(8) निर्वाचन अधिकारी आपत्ति की सरसरी तौर पर जांच करेगा और यदि ऐसी जांच के पश्चात उसकी यह राय हो कि आपत्ति प्रमाणित नहीं है तो वह आपत्ति करने वाले व्यक्ति को मतपत्र देगा जिसके पृष्ठ पर निर्वाचन अधिकारी अपनी हस्तलिपि के शब्द ''आपत्तिकृतमत'' पृष्ठांकित करेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(9) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उप नियम (3) के अधीन मतपत्र दिये जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक सूची मे अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अपने हस्ताक्षर करेगा या यदि वह निरक्षर हो, तो अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(10) उप नियम (8) के अधीन मत पत्र प्राप्त होने पर सम्बद्ध व्यक्ति मत पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मत देना चाहता है, गुप्त रूप से चिन्ह (X) लगाकर अपना मत अभिलेखित करेगा और मत पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरन्त इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा।

(11) यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को मतदाता सूची में दिये गये किसी विशिष्ट मतदाता रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात मत पत्र के लिये आवेदन करता है तो उसे उसकी पहचान के सम्बंध में निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपना समाधान करने के पश्चात एक मत पत्र दिया जायेगा जिसके पृष्ठ पर निर्वाचन अधिकारी अपनी हस्तलिपि में शब्द "निविदत्त मत–पत्र" पृष्ठांकित करेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा।

(12) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, निवित्त, निविदत्त मत पत्र दिये जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षर करेगा यदि वह निरीक्षर है तो, अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(13) उपनियम (11) के अधीन मत पत्र प्राप्त होने पर वह व्यक्ति निविदत्त मत पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने जिसे वह मत देना चाहता है, गुप्त रूप से चिन्ह (X) लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और निविदत्त मत पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरन्त इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा।

454. (1) मतदान समाप्त होने के पश्चात तुरन्त मतों की गणना की जायेगी और यदि मतदान समाप्त होने के पश्चात तुरन्त मतगणना करना सम्भव न हो तो मत पेटियां निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुहरबन्द कर दी जायेंगी और निकटस्थ पुलिस थाने में निरापद अभिरक्षा में रखी जायेंगी। मत पेटियों पर उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता भी अपनी मुहर, यदि चाहे तो, लगा सकता है।

(2) मत पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा, यदि–

(i) उस पर मतदाता की पहचान के लिए कोई हस्ताक्षर हो,

(ii) उस पर समिति की मुहर और सम्बद्ध मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर न हों,

(iii) उस पर मतदान इंगित करने का कोई चिन्ह न हो,

(iV) उस पर भरे जाने वाले स्थान/स्थानों की संख्या से अधिक चिन्ह हों।

(3) यदि किसी मत पत्र पर उम्मीदवार या उम्मीदवारों के लिए चिन्ह इस प्रकार लगाया/लगाये गये हों जिससे यह स्पष्ट न हो कि किन उम्मीदवारों को मत दिया गया है तो उसे अस्वीकार कर दिया जायगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी, मतगणना पूरी हो जाने के पश्चात यथाशीघ्र, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या बताते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा करेगा।

(5) बराबर–बराबर मत होने की स्थिति में मामले का निर्धारण पर्ची डालकर किया जायेगा। जिस उम्मीदवार के नाम की पर्ची उठाई जायेगी वह निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(6) निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची समिति के सूचना पट्ट पर और ऐसे सार्वजनिक स्थान पर भी, जिसे वह उचित समझे, प्रदर्शित करेगा।

(7) उपनियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची की एक प्रतिलिपि सम्बन्धित जिला सहायक निबन्धक या नियम 450 के उपनियम (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी की और सम्बन्धित समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक को भी भेजी जायगी।

(8) निर्वाचन सम्बंधी प्रयुक्त मत पत्र और अन्य अभिलेख किसी लिफाफे या बॉक्स (कन्टेनर) में रखे जायेंगे और निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी उन्हें मुहरबन्द करेगा। यदि कोई उम्मीदवार चाहे तो वह भी उस पर अपनी मुहर लगा सकता है। निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी इस प्रकार मुहरबन्द लिफाफा या बक्से को समिति के सचिव/प्रबन्धक निदेशक को सौंप देगा जो उसकी प्राप्ति रसीद देगा और यदि निर्वाचन के सम्बंध में कोई विवाद निबन्धक को निर्दिष्ट न किया जाय तो वह दो मास तक उसकी निरापद अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(9) किसी सहकारी समिति या किसी वर्ग या वर्गों की सहकारी समितियों के निर्वाचन कराने के व्यय की धनराशि निबन्धक द्वारा विशेष या साधारण आदेश से अवधारित की जायगी और यह धनराशि उस समिति द्वारा जिसका निर्वाचन किया जाना हो, अपनी निधि से देय होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी और निर्वाचन दल के अन्य सदस्यों का कोई यात्रा/दैनिक भत्ता समिति की निधि से देय न होगा।

(10) सम्बन्धित समिति का सचिव/प्रबन्ध निदेशक, निबन्धक के आदेश पर समिति के निर्वाचन के सम्बंध में किये गये व्यय का भुगतान करेगा। ऐसा न करने पर धनराशि निबन्धक द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र पर सम्बद्ध समिति से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायगी।

455 (1) *(क)* प्रबन्ध समिति के सदस्यों की संख्या अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार अवधारित की जायगी । कोई सहकारी समिति अपनी प्रबन्ध समिति में अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों में की गयी व्यवस्था के अनुसार सदस्य निर्वाचित करेगी ;

(ख) किसी विशिष्ट क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र या सदस्यों के वर्ग से प्रबन्ध समिति के लिए या समिति के साधारण निकाय में प्रतिनिधि का चुनाव लड़ने वाला कोई व्यक्ति, यथास्थिति, उस क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्र या सदस्यों के वर्ग के साधारण निकाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि क्रय–विक्रय समिति/जिला थोक उपभोक्ता भण्डार की स्थिति में समिति के अलग–अलग सदस्य और प्रतिनिधि प्रबन्ध समिति में अपने सम्बंधित सदस्यों का निर्वाचन पृथक–पृथक रूप से करेंगे।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, किसी प्रारम्भिक उपभोक्ता समिति की प्रबन्ध समिति के सदस्य साधारण निकाय के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से निर्वाचित किये जायेंगे।

(3) निबन्धक अथवा प्राधिकृत अधिकारी नियम 450 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अधीन निर्बल वर्गों के लिये निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों को आरक्षित करेगा और ऐसा आरक्षण उन निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों के, जहां से प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना हो, नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रम में रखकर चक्रानुक्रम द्वारा उस सीमा तक किया जायेगा, जहां तक स्थान आरक्षित हों।

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को क्रमशः अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों के पिछड़े वर्गों और महिलाओं को हिन्दी वर्णानुक्रम में आवंटित किया जायेगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के नाम का प्रथम अक्षर एक समान हो तो ऐसे मामलों में आरक्षण ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के नाम के अगले अक्षर द्वारा विनियमित किया जायेगा।

(4) (क) क्रय–विक्रय/प्रक्रिया समिति की प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(1) सदस्य समिति से दस प्रतिनिधि, यदि समिति के अलग–अलग सदस्य प्रतिनिधि तीन हों।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि समिति में अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की संख्या कम हो जाती है तो समिति में सदस्य समितियों के प्रतिनिधियों की संख्या में उस सीमा तक वृद्धि की जायेगी जिस सीमा तक समिति में अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की कमी हो।

(2) अलग–अलग सदस्यों के उतने प्रतिनिधि जितने इस नियम के उपनियम (5) में दिये गये हैं, किन्तु तीन से अधिक न हों ।

(3) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो व्यक्ति यदि राज्य सरकार अंशधारी हो। यदि राज्य सरकार अंशधारी न हो तो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले व्यक्तियों के स्थान निर्वाचित प्रतिनिधियों को आवंटित कर दिये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि सदस्य समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्थिति में दो स्थान और अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधि की स्थिति में एक स्थान, यदि अलग–अलग सदस्यों का प्रतिनिधित्व एक से अधिक हो, निर्बल वर्गों के लिए आरक्षित होगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि सदस्य समितियों में से आरक्षित स्थानों की संख्या उतनी बढ़ जायेगी जितनी अलग–अलग सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों में कमी होती है।

(ख) जिला थोक उपभोक्ता भण्डार को छोड़कर जिला सहकारी परिसंघ (फेडरेशन/जिला/ केन्द्रीय सहकारी बैंक की प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(1) सदस्य समितियों के ग्यारह प्रतिनिधि।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की संख्या शून्य हो जाये या कम हो जाय तो समिति में सदस्य समिति के स्थान की संख्या उतनी बढ़ जायेगी जितने अलग–अलग सदस्यों के स्थानों की संख्या में कमी होती है।

(2) अलग–अलग सदस्यों के दो प्रतिनिधि।

(3) राज्य सरकार द्वारा नामित्त दो व्यक्ति यदि राज्य सरकार अंशधारी हो। यदि राज्य सरकार अंशधारी न हो तो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए स्थान निबन्धक के निर्देशानुसार प्रबन्ध समिति के अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को आवंटित कर दिये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि निर्बल वर्ग के लिए कम से कम तीन स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(ग) जिला थोक उपभोक्ता भण्डार की प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(1) अलग–अलग सदस्यों के सात प्रतिनिधि,

(2) सदस्य समितियों के छः प्रतिनिधि,

(3) राज्य सरकार द्वारा नामित दो व्यक्ति, यदि राज्य सरकार अंशधारी हो। यदि राज्य सरकार अंशधारी न हो तो राज्य सरकार द्वारा नामित्त व्यक्तियों के स्थान निबन्धक के निर्देशनुसार प्रबन्ध समिति के अन्य प्रतिनिधियों को आवंटित कर दिये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि अलग–अलग सदस्यों की स्थिति में तीन स्थान और प्रारम्भिक समितियों के प्रतिनिधियों के मामले में दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(5) (i) क्रय–विक्रय समिति,

(ii) ब्लॉक यूनियन,

(iii) जिला सहकारी परिसंघ (फेडरेशन), और

(iv) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक के अलग–अलग सदस्य अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन होंगे और अपनी–अपनी समितियों का प्रतिनिधित्व प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित रूप में करेंगेः–

(1) एक प्रतिनिधि, यदि सदस्यता 50 या उससे कम है,

(2) दो प्रतिनिधि, यदि सदस्यता 50 से अधिक किंतु 500 से अधिक नहीं है, और

(3) तीन प्रतिनिधि, यदि सदस्यता 500 से अधिक है।

प्रतिबन्ध यह है कि जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक जिला सहकारी परिसंघ की प्रबन्ध समिति में अलग–अलग सदस्य प्रतिनिधियों की कुल संख्या दो से अधिक नहीं होगी ।

(6) ऐसी समितियों का, जो उपनियम (1) के अधीन न आती हों और जिनमें अलग–अलग सदस्य हों, प्रबन्ध समिति में प्रतिनिधित्व समिति की उपविधियों के अनुसार या यदि समिति की उपविधियों में इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध न हो तो निबन्धक के निर्देशानुसार होगा।

(7) शीर्ष सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(क) सदस्य समितियों के तेरह प्रतिनिधि जिनमें से तीन प्रतिनिधि निर्बल वर्ग के होंगे

(ख) धारा 34 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार के दो नामित सदस्यों में से एक गैर सरकारी तथा एक शीर्ष समिति का प्रबन्ध निदेशक होगा, यदि राज्य सरकार अंशधारी हो ।

(ग) शीर्ष सहकारी समिति का प्रबन्ध निदेशक ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामित उस वित्तीय संस्था का एक प्रतिनिधि जो सहकारी समिति को वित्त पोषित करने वाली हो।

सभापति और उपसभापति का निर्वाचन

456 (1) सभापति, उपसभापति और अन्य पदाधिकारियों के, यदि कोई हो, निर्वाचन के प्रयोजनार्थ सम्बद्ध समिति का निर्वाचन अधिकारी सम्बद्ध समिति की प्रबन्ध समिति के सदस्यों के निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात यथाशीघ्र समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक के परामर्श से प्रबन्ध समिति के सदस्यों की पहली बैठक बुलायेगा।

(2) निर्वाचन–अधिकारी, प्रबन्ध समिति के सदस्यों के निर्वाचन का नोटिस और कार्यक्रम के साथ–साथ सभापति, उपसभापति या प्रतिनिधियों के निर्वाचन का दिनांक, कार्यक्रम भी सूचित करेगा और वह स्थान भी विनिर्दिष्ट करेगा जहां उनका निर्वाचन होगा।

(3) (i) सभापति, उपसभापति और अन्य पदाधिकारी प्रबन्ध समिति के निर्वाचित एवं गैर सरकारी नामित सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे।

(ii) प्रबन्ध समिति के निर्वाचित एवं गैर–सरकारी नामित सदस्य अन्य सहकारी समिति के जिसकी वह समिति सदस्य हो, साधारण निकाय में समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन साधारण निकाय के अर्ह सदस्यों में से करेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि सभापति, उपसभापति और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए बुलाई गयी बैठक की गणपूर्ति (कोरम) मताधिकार प्राप्त सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक होगी ।

(4) नियम 452 से 454 में निर्धारित प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित सभापति, उपसभापति या प्रतिनिधियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होगी।

457. (1) किसी सहकारी समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में, मध्यस्थ द्वारा या अन्य प्रकार से, सिवाय निम्नलिखित आधार के, चुनौती नहीं दी जा सकेगीः–

(क) यदि भ्रष्टाचार, रिश्वत या अनुचित प्रभाव के अत्यधिक अभिभावी होने के कारण निर्वाचन निष्पक्ष न हुआ हो, या

(ख) निर्वाचन के परिणाम पर निम्नलिखित कारणों से सारवान् प्रभाव पड़ा हो :–

1. किसी नामांकन पत्र का अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार किया जाना, या
2. मतदाताओं को अनुचित रूप से ग्रहण, या ग्रहण करने से इन्कार करना या मत रद्द किया जाना।
3. अधिनियम, नियम या समिति की उपविधियों के उपबन्धों का अनुपालन करने में घोर चूक की गई हो।

स्पष्टीकरणः– इस नियम के प्रयोजनार्थ भ्रष्टाचार, रिश्वत या अनुचित प्रभाव के वही अर्थ होंगे, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अधीन प्रत्येक के लिए दिये गये हैं।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित कोई विवाद निर्वाचन परिणाम की घोषणा के दिनांक से पैंतालीस दिन के भीतर व्यथित पक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा।

458. इस नियमावली में दिये गये किसी सहकारी समिति या किसी वर्ग या वर्गों की सहकारी समितियों के निर्वाचन से सम्बन्धित उपबन्ध ऐसी समिति की उपविधियों के उपबन्धों के होते हुए भी किसी सहकारी समिति के निर्वाचन के संचालन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

प्रबन्ध समिति का कार्यकाल

466. नियम 430, 459, 460 और 461 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति का कार्य काल तीन वर्ष होगा। प्रबन्ध समिति के किसी निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल प्रबन्ध समिति के कार्यकाल के साथ–साथ समाप्त होगा।

467. प्रबन्ध समिति का कोई नामित सदस्य नामित करने वाले प्राधिकारी के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

468. प्रबन्ध समिति का कोई सहयोजित सदस्य।

(1) यदि समिति की उपविधियों के अनुसरण में सहयोजित किया जाए तो उपविधियों में व्यवस्थित अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) यदि नियम 448 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन सहयोजित किया जाये तो प्रबन्ध समिति के अन्य सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति तक पद धारण करेगा।

(3) यदि नियम 470 के अधीन समायोजित किया जाये तो वह उस व्यक्ति के, जिसकी रिक्ति में उसका सहयोजन किया जाये, कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद धारण केरगा।

469. किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति का कोई पदेन सदस्य, यदि कोई हो, प्रबन्ध समिति में तब तक रहेगा जब तक कि वह ऐसा पद धारण किये रहे जिनके कारण वह ऐसे सदस्य के रूप में नियुक्त या नामित किया गया था।

470. यदि किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति के निर्वाचित या सहयोजित सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो तो प्रबन्ध समिति के शेष सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से जो समिति की सदस्यता के लिए पात्र हों, सहयोजन द्वारा अवशेष अवधि के लिए पूरी की जायेगी।

471. यदि प्रबन्ध समिति नियम 470 के अधीन रिक्ति को सहयोजन द्वारा न भरे तो, निबन्धक समिति की ऐसी रिक्तियां 30 दिन के भीतर पूरी करने का नोटिस दे सकता है और यदि समिति ऐसा न करे तो निबन्धक समिति की सदस्यता के लिए अर्ह व्यक्तियों में से नामित करके रिक्ति पूरी कर सकता है।

472. सभापति और उपसभापति का कार्यकाल प्रबन्ध समिति के कार्यकाल के समान होगा।

प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए अनर्हता

473. (1) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि–

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो; (छात्राओं/छात्रों की समिति को छोड़कर)

(ख) यदि वह दिवालिया घोषित हो ;

(ग) वह विकृत–चित्त या बहरा या गूंगा या अन्धा हो अथवा कोढ़ से पीड़ित हो;

(घ) उसे निबन्धक की राय में नैतिक अधमता, ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसके विरूद्ध अपील रद्द न की गयी हो;

(ड.) निबन्धक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, समिति के कार्य–क्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो, जैसा समिति करती हो ;

(च) अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ कोई व्यवहार या संविदा करे ;

(छ) समिति या किसी अन्य समिति के, जो ऐसी समिति से सम्बद्ध हो, अधीन कोई लाभ का पद स्वीकार करे या धारण करता हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह पंजीकरण ऐसे उत्पादकों या कर्मकारों की समितियों पर लागू होगा जिनको राज्य सरकार ने अनुज्ञा दे दी हो कि वे अपनी उपविधियों में कर्मचारियों द्वारा समिति के प्रबन्ध में भाग लेंने की व्यवस्था कर सकती हैं।

(ज) समिति के साधारण निकाय का सदस्य न हो ;

(झ) अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो, जब तक कि दोष सिद्धि के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गयी हो ;

(ञ) ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरूद्ध किसी सहकारी समिति ने धारा 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो ;

(ट) अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण या ऋणों के सम्बन्ध में समिति का (कम से कम छः माह से) बाकीदार हो, या वह समिति का निर्णीत ऋणी हो,

(ठ) एक समय में तीन सहकारी समितियों की प्रबन्ध समितियों का पूर्व से ही सदस्य हो यथा एक प्रारम्भिक, एक केन्द्रीय एवं एक शीर्ष समिति, किन्तु वह तीन से अधिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति हेतु निर्वाचन योग्य होगा। उसके निर्वाचन की स्थिति में यदि वह उपर्युक्त उल्लिखित तीन से अधिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति हेतु निर्वाचित हो जाय तो उसे इस प्रकार की समिति अथवा समितियों की प्रबन्ध समिति से एक माह के अन्तर्गत त्याग पत्र देना होगा, जिससे कि वह तीन से अधिक समितियों

की प्रबन्ध समिति का सदस्य न रह जाय। यदि वह निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपना त्याग पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जायेगा कि उसने एक शीर्ष समिति, एक केन्द्रीय समिति एवं एक प्रारम्भिक समिति को छोड़कर जिसमें वह अन्त में निर्वाचित घेषित हुआ है अन्य सभी समितियों से त्याग पत्र दे दिया है ;

(ड) राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति की सेवा अथवा निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या बेईमानी करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युति का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो ;

(ढ) किसी ऐसी सहकारी समिति के पंजीकरण के प्रार्थना पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसकी प्रबन्ध समिति का सदस्य रहा हो जो निबन्धक द्वारा धारा 72 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समापित कर दी गयी हो कि समिति का पंजीकरण कपटपूर्वक कराया गया और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो,

(ण) अधिनियम या नियम या समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो,

(त) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत अथवा अन्य किसी स्थानीय निकाय, संसद सदस्य अथवा राज्य विधान सभा का सदस्य हो जाय।

(2) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति का कोई सदस्य जो प्रबन्ध समिति की तीन लगातार बैठकों में बिना उचित कारण के अनुपस्थित रहे, प्रबन्ध समिति का सदस्य बने रहने का हकदार न होगा।

(3) उपनियम (2) के उपबन्ध किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य पर लागू नहीं होंगे।

(4) कोई व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए चुनाव लड़े किन्तु ऐसे निर्वाचन में हार जाये, सहयोजन या नाम निर्देशन द्वारा ऐसा सदस्य होने के लिए पात्र न होगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन निर्धारित अनर्हताएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होंगीः

(i) खण्ड (ज) में निर्धारित अनर्हतायें प्रबन्ध समिति के किसी नामित या पदेन सदस्य पर और प्रबन्ध समिति के ऐसे सहयोजित सदस्यों पर लागू नहीं होगी जिनके सहयोजन के लिए साधारण निकाय की सदस्यता समिति की उपविधियों के अधीन एक शर्त न रही हो ;

(ii) खण्ड (घ) या खण्ड (ड.) में निर्धारित अनर्हता, दोष सिद्धि के अधीन, अर्थ दण्ड देने या दोष सिद्ध होने पर दण्ड पा लेने के या पदच्युति के आदेश के, यथास्थिति, पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् समाप्त हो जायेगी;

(iii) खण्ड (ठ) में दी हुई अनर्हता किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगी जिसको धारा 34 के अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति पर नामित किया गया हो।

474. कोई ऐसी सहकारी समिति जो किसी अन्य सहकारी समिति से सम्बद्ध हो, किसी ऐसे व्यक्ति को जो पश्चातवर्ती समिति के साधारण निकाय में किसी सहकारी समिति का सदस्य हो या सदस्य रहा हो, नियुक्त नहीं करेगी, यदि–

(1) वह साधारण निकाय या प्रबन्ध समिति का सदस्य न रह जाय, या

(2) वह पश्चातवर्ती समिति की प्रबन्ध समिति का सदस्य होने के लिए नियम 473 में निर्धारित कोई अनर्हता प्राप्त कर ले।

475. किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रकार अनर्ह हो जाय, प्रबन्ध समिति के सदस्य का पद धारण न किये रहे। जैसे ही यह तथ्य प्रबन्ध समिति की जानकारी में आये कि कोई सदस्य किसी प्रकार अनर्ह हो गया है, चाहे वह ऐसा सदस्य होने के पूर्व या उसके पश्चात अनर्ह हुआ हो, तो समिति इस विषय पर एक इस प्रयोजन के लिए बुलायी गयी बैठक में विचार करेगी। ऐसी बैठक की कार्य–सूची की एक प्रति उस सदस्य को जिसके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, व्यक्तिगत रूप से या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा दी जायेगी। यदि सम्बद्ध व्यक्ति को ऐसी अनर्हता के कारण समिति की सदस्यता से हटाने का संकल्प पारित हो जाय तो ऐसे संकल्प की एक प्रति भी सम्बद्ध व्यक्ति को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जायेगी और तदुपरान्त ऐसे सदस्य को किसी भी अन्य प्रकार से प्रबन्ध समिति के सदस्य के रूप में प्रबन्ध समिति की किसी बैठक में कार्य करने या उपस्थित होने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। ऐसे सदस्य का पद रिक्त घोषित किया जायेगा, वह व्यक्ति ऐसी कार्यवाही से व्यथित हो तो वह नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन पंचनिर्णय करा सकता है।

476. यदि निबन्धक के संज्ञान में आता है कि समिति की प्रबन्ध समिति ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही नहीं कर रही है जो कि अधिनियम या नियम या समिति की उपविधियों के अनुसार अनर्ह हो गया है तो निबन्धक समिति की प्रबन्ध समिति को लिखित रूप में 30 दिन के अन्दर कार्यवाही करने का निर्देश दे सकता है और प्रबन्ध समिति तद्नुसार कार्यवाही करने को बाध्य होगी ।

477. यदि समिति की प्रबन्ध समिति नियम 476 के अनुसार कार्यवाही नहीं करती है तो निबन्धक सुनवाई का उचित अवसर देकर सम्बन्धित व्यक्ति को समिति की प्रबन्ध समिति की सदस्यता से निकाल सकता है ।

:—चैक प्वाइन्टस—:

1— क्या जिन प्रारम्भिक समितियों में चुनाव कराये जाने हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्रों का अनन्तिम प्रकाशन एवं आपत्ति निराकरण के पश्चात अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

2— क्या जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक समिति के लिए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है ।

3— क्या निर्वाचन अधिकारी/पोलिंग आफीसर की नियुक्ति की जा चुकी है ? पोलिंग अधिकारी की व्यवस्था सम्बन्धी आदेश क्या जिलाधिकारी द्वारा प्रसारित किये गये हैं ?

4— क्या निबन्धक के निर्देशों के अनुसार निर्धारित निर्वाचन तिथियों को नियमावली के नियम संख्या 451 (1) के अन्तर्गत निर्वाचन अधिकारी द्वारा सामुहिक रूप से प्रकाशित किया जा चुका है ?

5— क्या निर्वाचन अधिकारी द्वारा 15 दिन पूर्व निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किये जा चुके हैं तथा प्रारम्भिक समितियों में इसकी सूचना डुगी पीटकर/स्थानीय प्रकाशन आदि द्वारा दी जा चुकी है।

6— क्या मतगणना के सम्बन्ध में भी कार्यक्रम निश्चित किये जा चुके हैं ?

7— क्या सहकारी समितियों के सचिव द्वारा अनन्तिम मतदाता सूची निर्वाचन क्षेत्रवार बनाई जा चुकी है?

8— क्या जिलाधिकारी द्वारा बैलेट पेपर व अन्य वस्तुओं के वितरण का कार्यक्रम तहसील कार्यालय एवं मुख्यालय कार्यालय से निश्चित कर लिये गये हैं ?

9— क्या बैलेट पेपर, नामांकन पत्र फार्म, बिक्री फार्म, टैण्डर वोट फार्म, चुनौती फार्म एवं रसीद बहियां निबन्धक के कार्यालय से प्राप्त हो गई हैं ?

10— क्या निर्वाचन अधिकारियों को दी जाने वाली समस्त वस्तुओं की सूची बनाई जा चुकी है? निर्वाचन कार्यालय में जो वस्तुयें प्राप्त की जानी हैं, उनका प्रबन्ध किया जा चुका है अथवा नहीं ?

11— क्या निर्वाचन अधिकारियों के रिहर्सल की तिथि निश्चित हो चुकी है अथवा रिहर्सल कराया जा चुका है ?

12— क्या बैलेट पेपर में प्रत्याशियों के नाम अंकित करने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था की जा चुकी है?

13— क्या मुख्यालय से बैलेट पेपर प्राप्त होनें के बाद गणना करके निर्वाचन अधिकारी के लिए बण्डल बनाये जा चुके हैं ?

14— क्या निर्वाचन कार्य स्थल की व्यवस्था की जा चुकी है ?

15— क्या सहायक निबन्धकों द्वारा प्रारम्भिक समितियों द्वारा जिन अन्य समितियों को प्रतिनिधि भेजे जाने हैं, उसकी सूची समिति स्तर पर बनाई जा चुकी है ?

16— क्या जिलाधिकारी महोदय द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु प्रबन्ध किया जा चुका है ?

नोट—यह चैक प्वाइन्ट कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं के लिए है, अन्य के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर निश्चित किये जाने का अनुरोध है ।

निर्वाचन आवश्यक

प्रेषक,

निबन्धक
सहकारी समितियां, उत्तरांचल
अल्मोड़ा।

सेवा में,

समस्त जिला सहायक निबन्धक
सहकारी समितियां उत्तरांचल
..... ।

पत्रांक सी–4 /निर्वाचन–कैम्प/2004–05, दिनांक 06.08.2004

विषय–सहकारी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में स्टेशनरी की व्यवस्था हेतु ।

महोदय,

सहकारी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में स्टेशनरी की आवश्यकता सामान्यतः निम्न सूची के अनुसार होती है। आपके द्वारा इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है । इस सम्बन्ध में जो स्टेशनरी मुख्यालय से अथवा निर्वाचन कार्यालय या स्थानीय रूप से क्रय करना है, उसका विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

1– मुख्यालय द्वारा किये जाने वाले रूप–पत्र –
- (1) मत पत्र
- (2) नामांकन पत्र
- (3) नामांकन पत्र वापसी
- (4) आपत्ति कृत फार्म
- (5) टेण्डर वोट फार्म
- (6) मत पत्र लेखा फार्म
- (7) कैश रसीद बुक
- (8) निर्वाचन घोषणा पत्र (प्रारूप निर्वाचन निर्देशिका में भी दिया जा रहा है ।)

2– निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री –
- (1) मत पेटिकायें
- (2) ऐरो क्रास मार्क
- (3) ब्रास सील्स

3– स्थानीय रूप में व्यवस्था की जाने वाली निर्वाचन सामग्री –
- (1) इंक पैड सहित स्याही
- (2) थ्रेड बाल
- (3) कागज सफेद (छोटे साइज में)
- (4) कागज बड़ा शीट
- (5) काली पेन्सिल

(6) लिफाफे छोटे तथा बड़े
(7) मोमबत्ती तथा लाख, गोंददानी
(8) दप्ती के छोटे टुकडे एवं पतले तार (मतपेटियां सील करने हेतु),सूजा

4— प्रत्येक समिति में निम्नलिखित सामग्री निर्वाचन हेतु प्रत्येक दशा में समिति द्वारा अतिरिक्त रूप से उपलब्ध रहे जिसे समिति अपने संशाधनों से क्रय कर सुरक्षित रखेगी :—

(1)	इंकपैड (स्याही सहित)	एक
(2)	थ्रेड बाल	एक
(3)	सफेद कागज छोटा	चार शीट
(4)	बादामी अथवा बांसी कागज बड़ा	एक शीट
(5)	मोमबत्ती	एक
(6)	लाख	दो सलाखें
(7)	गोंददानी छोटी	एक
(8)	दप्ती के छोटे टुकडे	आठ
(9)	पतले तार	छः
(10)	सूजा	एक
(11)	सुतली	एक लच्छी औसतन 100 ग्रा.

समस्त जिला सहायक निबन्धक सम्बन्धित समितियों को अपने स्तर से स्टेशनरी समिति पर उपलब्ध करवानें सम्बन्धी निर्देश प्रसारित कर दें ।

भवदीय,

जी.सी. मैकोटा
अपर निबन्धक
सहकारी समितियां, उत्तरांचल

पत्रांक / तद्दिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1—समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड।

2—समस्त प्रशासक, सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड ।

अपर निबन्धक
सहकारी समितियां, उत्तरांचल,

:–सूचना–:

एतद्द्वारा उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 29 (3) के अन्तर्गत निम्न सहकारी समितियों के उत्तरांचल सहकारी समिति नियमावली 2004 के नियम 450 (8) के अन्तर्गत अन्तिम निर्वाचन क्षेत्रों का प्रकाशन किया जाता है।

सहकारी समिति का नाम	अन्तिम (final) निर्वाचन क्षेत्रों का नाम तथा उससे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या अनु.जाति/जन जाति, महिला/पिछ़डा वर्ग हेतु आरक्षण स्थिति	ग्राम सभायें/वार्ड जो निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित होगें ।
1	2	3

ह0/–
जिला सहायक निबन्धक /
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक .....

<u>प्रकाशन के लिए नहीं :–</u>

1–उक्त अन्तिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रकाशन प्रथम प्रकाशन के 15 वें दिन किया जाय।
2–उक्त सूचना की प्रति सम्बन्धित समितियों को प्रेषित की जाय ।
3–निर्वाचित होने वाले संचालकों की संख्या निर्वाचित क्षेत्र के समक्ष कोष्ठक में अंकित की जाय ।
4–एक ही प्रकाशन में समितियों की यथासम्भव सूचना दी जाय अर्थात अलग–अलग प्रकाशन नहीं हों।

:—सूचना—:

एतद्द्वारा उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 29 (3) के अन्तर्गत निम्न सहकारी समितियों के उत्तराचंल सहकारी समिति नियमावली 2004 के नियम 450 (4) के अन्तर्गत प्रस्तावित अनन्तिम निर्वाचन क्षेत्रों का प्रकाशन उन पर सात दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आपत्ति आमन्त्रंण हेतु किया जाता है, जिसका निराकरण प्रकाशन के तेरहवें दिन जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरांचल .....के कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रातः 10.00 बजे से किया जायेगा ।

सहकारी समिति का नाम	प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा उनसे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या अनु. जाति/जन जाति, महिला/पिछ़डा वर्ग हेतु आरक्षण की स्थिति	ग्राम सभायें/वार्ड जो निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित होगें ।
1	2	3

ह0/—
जिला सहायक निबन्धक /
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक .....

<u>प्रकाशन के लिए नहीं :—</u>

1— कालम 2 में प्रस्तावित/निर्वाचन क्षेत्रों के नामों के आगे उनमें निर्वाचित होनें वाले प्रतिनिधियों की संख्या एवं महिला/निर्बल वर्ग हेतु आरक्षण (जैसे नियम 415 एवं 455 (3) में उल्लिखित है, अवश्य करें ।

2— भौगोलिक/सदस्यता संख्या तथा अन्य उपर्युक्त आधारों का क्षेत्र निर्धारण में ध्यान दिया जाय ।

3— कालम 3 में निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाली ग्राम सभाओं/वार्डो का स्पष्ट उल्लेख किया जाय एवं निर्वाचन क्षेत्रों के समक्ष ही उनके नाम दर्शाये जाये ।

4— उक्त सूचना की प्रति सम्बन्धित समितियों को टीका टिप्पणी हेतु भेजी जायं ।

प्रपत्र–ट

(नियम 440, 448 और 452(1) के अधीन नाम नांमांकन प्रपत्र)

1–पद नाम जिसके लिए निर्वाचन किया जायेगा.....

2–पद से सम्बद्व सहकारी समिति का पूरा पंजीकृत नाम .....

3–उम्मीदवार की –

(1) मतदाता सूची में क्रम संख्या .....

(2) उसका पूरा नाम (जैसा मतदाता सूची में हो) .....

(3) क्या वह सहकारी समिति का कोई विशेष सदस्य है.....

अथवा

(4) क्या वह किसी सम्बद्ध समिति/निकाय या प्राधिकारी.....
.का कोई प्रतिनिधि है।

यदि ऐसा हो तो ऐसी सम्बद्ध समिति/निकाया या प्राधिकारी का नाम.....

4– *(1)* पिता का नाम (पुरूष उम्मीदवार तथा अविवाहित महिला उम्मीदवार की दशा में).....

(2) पति का नाम(विवाहित महिला उम्मीदवार की दशा में).....

5–प्रस्तावक की –

(1) मतदाता सूची में क्रम संख्या .....

(2) उसका पूरा नाम (जैसा मतदाता सूची में हो) .....

(3) क्या वह सहकारी समिति का कोई विशेष सदस्य है.....

अथवा

(4) क्या वह किसी सम्बन्धित समिति, निकाय या प्राधिकारी को कोई प्रतिनिधि है.....यदि ऐसा हो तो सम्बन्धित समिति/निकाय/प्राधिकारी का नाम.....

(5) हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान.....

6–अनुमोदक की :–

(1) मतदाता सूची में क्रम संख्या .....

(2) उसका पूरा नाम (जैसा मतदाता सूची में हो) .....

(3) क्या वह सहकारी समिति का कोई विशेष सदस्य है.....

अथवा

(4) क्या वह किसी सम्बद्ध समिति, निकाय या प्राधिकारी को कोई प्रतिनिधि है.....
यदि ऐसा हो तो सम्बद्ध समिति/निकाय/प्राधिकारी का नाम.....

(5) हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान.....

उम्मीदवार की घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मै निर्वाचन में खड़े होनें के लिए इच्छुक हूँ और मैं उस पद के लिए जिसका कि मैं उम्मीदवार हूँ नियमों तथा समिति की उपविधियों के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए अर्ह हूँ ।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर या अंगूठा चिन्ह

टिप्पणी–

(1) एक उम्मीदवार एक पद के लिए केवल एक ही प्रपत्र का उपयोग करेगा।

(2) यदि उम्मीदवार प्रस्तावक,अनुमोदक अशिक्षित हो तो, उनके अंगूठे के निशान, समिति के शिक्षित अधिकारी या विभाग के किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए ।

(3) इस प्रपत्र में निर्दिष्ट मतदाता सूची का तात्पर्य, आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात अन्ततः तैयार की गई मतदाता सूची से है।

नियम संख्या 452 (11) के अधीन नामांकन पत्र वापसी प्रपत्र

सेवा में,

निर्वाचन अधिकारी

1–पद नाम जिसके लिए निर्वाचन प्रपत्र भरा गया था .....

2–सम्बन्धित सहकारी समिति का नाम .....

3–उम्मीदवार का नाम जैसा मतदाता सूची में था .....

(क) मतदाता सूची में क्रमांक एंव बार्ड/क्षेत्र का नाम .....

(ख) उम्मीदवार के पिता/पति का नाम .....

4– उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र वापसी का दिनांक .....

5– उम्मीदवार के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी .....नामांकन पत्र वापसी स्वीकृत .....हस्ताक्षर .....दिनांक .....

निर्वाचन अधिकारी का पूरा नाम.....समय ..... पद सहित .....

.....

टिप्पणी–

1– नामांकन पत्र वापसी प्रपत्र स्वयं उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

2– नामांकन पत्र वापस करने वाला उम्मीदवार यदि अशिक्षित है, तो उसका अंगूठा चिन्ह किसी अधिकारी/समिति के शिक्षित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए ।

नियम 453(12) के अधीन निविदत्त मतों की सूची

सहकारी समिति का नाम.....निर्वाचन क्षेत्र.....निर्वाचन का दिनांक .....

मतदाता का नाम	पता	निविदत्त शलाका पत्र का क्रमांक	जिस व्यक्ति ने पहले ही मतदान किया है उसको दिये गये शलाखा पत्र का क्रमांक	मत निविदत्त करने वाले मतदाता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा
1	2	3	4	5

नियम 453 (9) के अधीन शलाखा पत्र देने से पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र (आपत्तिकृत)

सहकारी समिति का नाम.....निर्वाचन क्षेत्र.....निर्वाचन का दिनांक .....

क्र0	आपत्तिकृत मतदाता			शलाका पत्र का क्रमांक	आपत्तिकृत मतदाता के हस्ताक्षर निशानी अंगूठा	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर	निर्वाचन/पोलिंग अधिकारी की जांच आख्या
	नाम	मतदाता	पता					
		सूची का क्रमांक एवं क्षेत्र/बार्ड						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

मत पत्र लेखा

समिति का नाम.....

	क्षेत्र/वार्ड का नाम.....का		क्षेत्र/वार्ड का नाम.....का		क्षेत्र/वार्ड का नाम.....का		क्षेत्र/वार्ड का नाम. .....का	
विवरण से .....तक	क0	सं. से ... . तक	क0	सं. से ... . तक	क0	सं. से .... तक	क0	सं. से ..... तक
1– प्राप्त मतपत्र 2– उपयोग में न लाये गये मतपत्र क–निर्वाचन, अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी हस्ताक्षर सहित यदि कोई हो, और ख– निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर बिना 3–मतदाताओं को दिये गये मतपत्र 4–निम्नलिखित कारणों से रद्द किये गये मतपत्र क–मतदान प्रकिया के अतिक्रमण के कारण ख–किसी अन्य कारण से 5– आपत्तिकृत मतदान निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग किये गये मतपत्र								

दिनांक.....

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

.....

(नियम संख्या–454 (4) के अंतर्गत)

मतगणना के पश्चात निर्वाचन अधिकारी द्वार प्रत्याशियों के प्राप्त मतों की सूचना का प्रारूप

समिति का नाम.....

कमांक	क्षेत्र/वार्ड का नाम एवं आरक्षण की स्थिति	प्रत्याशी/उम्मीदवार का नाम/ पिता का नाम व पता	प्राप्त मतों की संख्या	अभ्युक्ति
1		1		
		2		
		3		
		4		
		अवैख मतपत्रों की संख्या		
2		1		
		2		

दिनांक

ह./–

निर्वाचन अधिकारी

{नियम संख्या–454 (4) के अंतर्गत}

निर्वाचन घोषणा पत्र

(प्रबन्ध समिति हेतु)

मैं.....(नाम व पद) निर्वाचन अधिकारी आज दिनांक ..... को उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली–2004 के प्राविधानों के अंतर्गत सहकारी समिति .....की प्रबन्ध समिति के लिए निम्नलिखित सदस्यों को विधिवत् निर्वाचित घोषित करता हूँ।

क्रमांक	नाम सदस्य	पिता का नाम	ग्राम व पो.ओ.	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	आरक्षण का विवरण
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ह0/–निर्वाचन अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड.....
2. जिला निर्वाचन अधिकारी.....

ह0/–निर्वाचन अधिकारी

(नियम संख्या–454(4) के अंतर्गत)

निर्वाचन घोषण पत्र

(अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद हेतु)

मैं.....(नाम व पद) निर्वाचन अधिकारी आज दिनांक .....को उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली–2004 के प्राविधानों के अंतर्गत सहकारी समिति .....की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद हेतु निम्नलिखित सदस्यों को विधिवत् निर्वाचित घोषित करता हूँ:–

क्रमांक	नाम सदस्य	पिता का नाम	ग्राव व पो.ओ.	
1				अध्यक्ष/सभापति
2				उपाध्यक्ष/उप सभापति

ह0/–निर्वाचन अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड.....
2. जिलाधिकारी.....

ह0/–निर्वाचन अधिकारी

(नियम संख्या–454 (4) के अंतर्गत)

निर्वाचन घोषणा पत्र

(अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों हेतु)

मैं.....(नाम व पद) निर्वाचन अधिकारी आज दिनांक .....को उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली–2004 के प्राविधानों के अंतर्गत सहकारी समिति .....की प्रबन्ध समिति द्वारा.....(समिति/संस्था का नाम) के सामान्य निकाय के गठन हेतु निम्नलिखित सदस्यों को विधिवत् निर्वाचित घोषित करता हूँ।

क्रमांक	नाम सदस्य	पिता का नाम	ग्राव व पो.ओ.	आरक्षण की तिथि
1				
2				
3				
4				
5				
6				

ह0/–निर्वाचन अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सम्बन्धित संस्थायें।
2. जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड.....

ह0/–निर्वाचन अधिकारी

:—सूचना—:

एतद्द्वारा उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम—2003 की धारा 29 (3) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों के उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली—2004 के नियम 451 (1) के अंतर्गत निम्नांकित सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों एवं अन्य समितियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन की तिथियां प्रकाशित की जाती है।

सहकारी समिति के नाम अथवा क्षेत्र के नाम	विकास क्षेत्र का नाम	प्रबन्ध समिति के सदस्यों की निर्वाचन की तिथियां	समिति के सभापति, उपसभापति तथा अन्य समिति में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की निर्वाचन तिथियां
1	2	3	4

ह0/—
सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी
दिनांक.....
प्रकाशन के लिए नहीं:—

नोट—

1. उक्त कार्यवाही निर्वाचन तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व किया जाना है।

निर्वाचन/आवश्यक

कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

पत्रांक सी–10/विधि कैम्प निर्वाचन/2004–05, दिनांक 19 अगसत,2004

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 के नियम संख्या–452 (12) के अंतर्गत राज्य में सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्न चिन्ह आवंटित किये जाते हैंः–

''शेर, कार, घोड़ा, छाता, कलम–दवात, सारस, ऊँट, तीन–कमान, दो पत्तियां, रोडियो, ताला, कलश, उगता सूरज, तारा, गमला, तराजू, रेल का इंजन, घड़ी, मछली, गुलाब का फूल, ट्रैक्टर तथा मुर्गा''

यदि प्रत्याशियों की संख्या उक्त अधिकृत आवंटन चिन्हों से अधिक हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी उक्त चिन्हों के अतिरिक्त नये चिन्ह अपने स्तर से आवंटित कर सकते हैं। निर्वाचन चिन्हों का आवंटन उक्त क्रम में अनुसार किया जायेगा, क्योंकि उक्त चिन्हों के अनुसार ही मतपत्र छापे जा रहें हैं। किसी भी दशा में कोई भी चिन्ह छोड़कर उसके आगे का चिन्ह आवंटित न किया जाय। कृपया उपरोक्त सूचना समस्त निर्वाचन अधिकारियों को भी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

(डा0पी0एस0गुसांई)
निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

पत्रांक सी–10 /उक्त दिनांकित।
प्रतिलिपिः–समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त पत्र की प्रतिलिपि निर्वाचन अधिकारियों को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।